37

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' संबंधी तैंतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

सैंतीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

अगस्त, 2022/ श्रावण, 1944 (शक)

सी सी एंड एफ संख्या 165

सैंतीसवां प्रतिवेदन

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' संबंधी तैंतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

08 अगस्त, 2022 ***को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।***

08 अगस्त, 2022 ***को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।***

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

अगस्त, 2022/ श्रावण, 1944 (शक)

विषय सूची

		पृष्ठ
समिति (2021-22) की संरचना		(i v)
प्रस्तावना		(v)
अध्याय एक	प्रतिवेदन	1
अध्याय दो	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	21
अध्याय तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती	41
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकाता है	42
अध्याय पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	53
	परिशिष्ट	
एक.	रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की दिनांक 04. अगस्त**,** 2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	54
दो.	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) की **'**अनुदानों की मांगों (2022-23)**'** के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के तैंतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण	57

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि——सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री श्रीदिव्येन्दु अधिकारी
3. श्री एम.बदरुद्दीन अजमल
4. श्री दीपक बैज
5. श्री रमाकान्त भार्गव
6. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर
7. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा
8. श्री संजय शामराव धोत्रे
9. श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि
10. श्री कृपानाथ मल्लाह
11. श्री वसावा प्रभुभाई नागरभाई
12. श्री सत्यदेव पचौरी
13. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
14. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद
15. श्री अरुण कुमार सागर
16. श्री एम सेल्वराज
17. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
18. श्री अतुल कुमार सिंह
19. श्री प्रदीप कुमार सिंह
20. श्री उदय प्रताप सिंह
21. श्री इंद्रा हांग सुब्बा

राज्य सभा

22. श्री अयोध्या रामी रेड्डी
23. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर
24. डॉ. अनिल जैन

25. श्री अंतियुर पी. सेल्वरासू
26. श्री अरूण सिंह
27. श्री विजय पाल सिंह तोमर
28. श्री के. वेंलेल्वना
29. रिक्त*
30. रिक्त*
31. रिक्त

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	—	संयुक्त सचिव
2.	श्री नबीन कुमार झा	—	निदेशक
3.	श्री कुलविन्दर सिंह	—	उप सचिव

*रिक्त देखें श्री एम. बी. श्रेयम्स कुमार (एलजेडी), संसद सदस्य (राज्य सभा) राज्य सभा की सदस्यता से दिनांक 02.04.2022 को सेवानिवृत्त हुए। (आरएसएस आई.डी. संख्या 1(2)2019-समन्वय दिनांक 18.01.2022)

*रिक्त देखें श्री जयप्रकाश निषाद (बीजेपी), संसद सदस्य (राज्य सभा) राज्य सभा की सदस्यता से दिनांक 04.07.2022 को सेवानिवृत्त हुए। (आरएसएस आई.डी. संख्या 1(2)2019-समन्वय दिनांक 18.01.2022)

प्रस्तावना

मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की सभापति, समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' विषयक तैंतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी यह सैंतीसवें प्रतिवेदन उनकी ओर से प्रस्तुत करती हूं।

2. तैंतीसवां प्रतिवेदन दिनांक 21 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) ने तैंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का उल्लेख करते हुए दिनांक 30 जून, 2022 को अपने उत्तर प्रस्तुत किए। समिति ने दिनांक 4 अगस्त, 2022 को हुई अपनी बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

3. समिति के तैंतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट-दो में दिया गया है।

4. संदर्भ और सुविधा के लिए, समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित की गई हैं।

नई दिल्ली;
04 अगस्त, 2022
13 श्रावण, 1944 (*शक*)

कनिमोझी करुणानिधि
सभापति,
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

अध्याय एक

<u>प्रतिवेदन</u>

यह प्रतिवेदन रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' संबंधी समिति के 33वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

1.2 इस 33वें प्रतिवेदन को दिनांक 21 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा पटल पर रखा गया। इसमें 20 टिप्पणियां/सिफारिशें हैं। सभी सिफारिशों से संबंधित सरकार के उत्तर प्राप्त हो गए हैं और उन्हें निम्नवत् श्रेणीबद्ध किया गया है:-

(i) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:-

क्रम सं.: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,13,14,15,17 और 19 (कुल = 15)

इन्हें प्रतिवेदन के अध्याय दो में शामिल किया गया है। प्रतिशत: 75.00%

(ii) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तर को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती:-

शून्य (कुल = 0)

इन्हें प्रतिवेदन के अध्याय तीन में शामिल किया गया है। प्रतिशत: 00.00%

(iii) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकर नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराये जाने की आवश्यकता है:-

क्रम सं.: 2, 12, 16, 18 और 20 (कुल = 5)

इन्हें प्रतिवेदन के अध्याय चार में शामिल किया गया है। प्रतिशत: 25.00%

(iv) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:-

शून्य (कुल = 0)

इन्हें प्रतिवेदन के अध्याय पांच में शामिल किया गया है। प्रतिशत: 00.00%

1.3 समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों संबंधी की गई कार्रवाई टिप्पण यथाशीघ्र प्रस्तुत किए जाएं तथा इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन महीने के भीतर प्रस्तुत कर दिए जाएं।

1.4 अब समिति अपनी पूर्व टिप्पणियों/सिफारिशों पर विचार करेगी जिन्हें या तो दोहराये जाने की आवश्यकता है या जिन पर और टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता है।

(सिफारिश सं. 1)

<u>रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित और अनुमोदित आबंटन</u>

1.5 विभाग के लिए बजटीय आबंटन के संबंध में समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:-

''समिति ने नोट किया कि वर्ष 2022-23 के लिए, विभाग ने 271.27 करोड़ रुपये के ब.अ. का प्रस्ताव किया था, लेकिन केवल 209.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। प्रस्ताव की तुलना में 62.27 करोड़ रुपए की इस कटौती के संबंध में विभाग द्वारा बताए गए कारणों में विभाग द्वारा किया गया समग्र व्यय, सरकार के पास उपलब्ध संसाधन और इसकी प्राथमिकताएं शामिल हैं। समिति का मत है कि सरकार की समग्र प्राथमिकताओं, संसाधनों की उपलब्धता के कारक विभाग के नियंत्रण से परे हैं लेकिन पिछले वित्तीय वर्षों का प्रस्ताव के अनुरूप व्यय ट्रैक विभाग को निधियों के आबंटन में निर्णायक कारकों में से एक है, यह पूर्णत: विभाग की जिम्मेदारी है। समिति को उम्मीद है कि विभाग आबंटित निधियों के उपयोग पर आवश्यक ध्यान देगा। इसके अलावा, विभाग ने बताया है कि वर्ष 2022-23 के लिए आबंटित बजट की तुलना में प्रस्तावित बजट में मुख्य कमियों में एनएसपी के तहत 53.77 करोड़ रुपये, आईपीएफटी के तहत 5.70 करोड़ रुपये, सीपीडीएस के तहत 3.00 करोड़ रुपये और सिपेट के तहत 1.13 करोड़ रुपये की मामूली कमी शामिल है, जिससे सिपेट की योजना में बाधा उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। समिति ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि विभाग की दोनों स्कीमों नामत (i) नई पेट्रोरसायन योजना (एनएसपी) और (ii) रसायन संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस) में क्रमश 53.77 करोड़ रुपए और 3.00 करोड़ रुपए की कमी आई है। इस प्रकार विभाग की प्रमुख योजनाओं का विभाग के कार्यकरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, आईपीएफटी में 5.70 करोड़ रुपए की कमी आई है जिसका विभाग के कार्यकरण के निष्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। समिति विभाग के इस उत्तर से कुछ हद तक संतुष्ट है कि सिपेट के लिए 1.13 करोड़ रुपये की मामूली कटौती से उसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं या कार्यक्रमों में गंभीर रूप से बाधा उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। तथापि, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि विभाग को एनएसपी और सीपीडीएस के लिए आबंटित निधियों का विवेकपूर्ण और सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो इन स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निधियों का अपेक्षित आबंटन प्राप्त करने के लिए इस मामले को उपयुक्त स्तर पर भी उठाना चाहिए।''

सरकार का उत्तर

1.6 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (डीसीपीसी) ने निम्नवत् कहा है:-

''<u>पेट्रोरसायन की नई योजना (एनएसपी)</u>

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि आबंटित बजट में 53.77 करोड़ रुपए की कमी से एनएसपी का पहले से चल रहा कार्यान्वयन प्रभावित नहीं होगा क्योंकि व्यय विभाग (डीओई) द्वारा पांच नए प्लास्टिक पार्कों के प्रस्ताव को रोक दिया गया है। इसलिए, चल रही परियोजनाओं के लिए अनुमानित आवश्यकता घटकर 66.27 करोड़ रुपए रह गई है, जिसमें से 48.50 करोड़ रुपए आबंटित किए जा चुके हैं। इस संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि विभाग समिति को आश्वासन देता है कि वह इस तरह से धन के आबंटन की योजना बनाएगा कि एनएसपी के तहत चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई प्रभाव ना पड़े या न्यूनतम प्रभाव पड़े और यदि आवश्यक हुआ, तो यह विभाग मामले को उचित स्तर पर उठाएगा।

<u>केन्द्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट)</u>

101.37 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बीई 2022-23 की तुलना में, बीई 2022-23 में सिपेट योजनाओं के लिए सहायता अनुदान के रूप में सिपेट को 100.24 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी। हालांकि, सिपेट के लिए 1.13 करोड़ रुपये की मामूली कटौती से बाधा आने की संभावना नहीं है और वर्ष 2022-23 के दौरान योजनाओं/परियोजनाओं के प्रभावी निष्पादन को पूरा करने के लिए आबंटित निधि पर्याप्त है। इसके अलावा, चूंकि उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए तकनीकी बुनियादी सुविधाओं और क्षमताओं को समृद्ध करने की योजना पूरी होने के कगार पर है, इसलिए "सिपेट में अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी सहायता में क्षमताओं को बढ़ाने" और इसके कारण निधि आबंटन में मामूली कटौती से सिपेट के कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

<u>रसायन संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस)</u>

विभाग ने व्यय विभाग से 31.3.2021 के बाद भी सीपीडीएस को जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी देने और सीपीडीएस को एक उप-योजना के रूप में पेट्रोरसायन की नई योजनाओं (एनएसपी) के साथ एक अम्ब्रेला योजना के रूप में विलय करने का अनुरोध किया था। सीपीडीएस का उद्देश्य देश में रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास करना

है। सीपीडीएस के लिए 2021-22 से 2025-26 के दौरान प्रस्तावित बजट परिव्यय नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	प्रस्तावित परिव्यय (करोड़ रुपये में)
1.	2021-22	3.60
2.	2022-23	6.15
3.	2023-24	6.25
4.	2024-25	6.30
5.	2025-26	6.40
कुल		28.70

व्यय विभाग ने सीपीडीएस को 31.03.2021 के बाद भी जारी रखने के लिए अपनी स्वीकृति से अवगत करा दिया है। सीपीडीएस को एक उप-योजना के रूप में पेट्रोरसायन की नई योजनाओं (एनएसपी) के साथ एक अम्ब्रेला योजना के रूप में विलय करने का प्रस्ताव वित्त प्रभाग में विचाराधीन है।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सीपीडीएस के लिए 6.00 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। हालांकि, 2022-23 के लिए सीपीडीएस की मद में केवल 3.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। मौजूदा सीपीडीएस दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, विभाग ने वर्ष 2022-23 के दौरान सीपीडीएस के तहत आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के संबंध में इस विभाग के रसायन और पेट्रोरसायन प्रभागों और उद्योग संघों से प्रस्ताव मांगे। विभिन्न उद्योग संघों और रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों से 7.48 करोड़ रुपये के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 2022-23 के दौरान सीपीडीएस के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के कैलेंडर को सचिव (रसायन एवं पेट्रोरसायन) के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया गया है। हालांकि, मौजूदा सीपीडीएस दिशानिर्देशों के अनुसार, इन आयोजनों के लिए केवल 3.49 करोड़ रुपये की राशि दी जा सकती है। उपरोक्त के अतिरिक्त, विभाग की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन संचालित करने के लिए भी धनराशि आबंटित की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो अतिरिक्त धनराशि की मांग आरई स्तर पर वित्त प्रभाग को की जाएगी।''

1.7 पेट्रोरसायन की नई योजनाएं (एनएसपी)

समिति नोट करती है कि पेट्रोरसायन की नई योजना में दो उप) योजनाएं हैं-i) प्लास्टिक पार्क और)ii) उत्कृष्टता केंद्र ।(सीओई) इस योजना के लिए ब .अ.102.73 करोड़ रुपये था, लेकिन 48.50 करोड़ रुपये की अल्प राशि आवंटित की गई है। मंत्रालय के अनुसार, आवंटित बजट में 53.77 करोड़ रुपये की कमी से एनएसपी के कार्यान्वयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि व्यय विभाग द्वारा पांच (डीओई) नए प्लास्टिक पार्कों के प्रस्ताव को रोक दिया गया है। इस प्रकार, एनएसपी के लिए निधियों की अनुमानित आवश्यकता अब चालू परियोजनाओं के लिए घटकर 66.27 करोड़ रुपये रह गई है। इस संबंध में, समिति नोट करती है कि भले ही एनएसपी के लिए निधियों की आवश्यकता को अब घटाकर 66.27 करोड़ रुपये कर दिया गया है, लेकिन इस योजना के लिए अपेक्षित 48.50 करोड़ रुपये की आवंटित निधियों में अभी भी 17.77 करोड़ रुपये की कमी है। इस प्रकार इस योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस पृष्ठभूमि में, विभाग ने बताया है कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि निधियों का आबंटन इस प्रकार किया जाए कि एनएसपी के तहत चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई प्रभाव न पड़े अथवा न्यूनतम प्रभाव पड़े। समिति इस संबंध में मंत्रालय द्वारा (रसायन विभाग-रसायन एवं पेट्रो) उठाए जा रहे कदमों के बारे में जान/उठाए गएना चाहती है।

<u>रसायन संवर्धन एवं विकास योजना (सीपीडीएस)</u>

1.8 समिति नोट करती कि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग से अनुरोध किया गया है कि वह 31 मार्च, 2021 से आगे सीडीपीएस को जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान करे और इसे एनएसपी के साथ उप। हायोजना के रूप में विलय करे-लांकि व्यय विभाग ने 31 मार्च, 2022 के बाद सीडीपीएस को जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है लेकिन विलय का प्रस्ताव वित्त प्रभाग में विचाराधीन है। समिति सिफारिश करती है कि इस मामले को वित्त प्रभाग के समक्ष उच्चतम स्तर पर पुरजोर रूप से रखा जाए।

(सिफारिश सं. 2)

2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान बजटीय आबंटन और उपयोग

1.9 बजटीय आबंटन और उपयोग के संबंध में समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:-

''समिति ने नोट किया कि ब.अ. (2019-20) 263.65 करोड़ रुपये था जिसे संशोधित करके 370.18 करोड़ रुपये कर दिया गया था और वास्तविक व्यय 365.10 करोड़ रुपये था। ब.अ. (2020-21) 218.34 करोड़ रुपये था, लेकिन इसे फिर से सं.अ. चरण में 395.70 करोड़ रुपये तक किया गया और वास्तविक व्यय 293.04 करोड़ रुपये था। ब.अ. (2021-22) 233.14 करोड़ रुपये था, लेकिन इसे संशोधित करके 209.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है और 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार वास्तविक व्यय 158.00 करोड़ रुपये है। समिति 2019-20 और 2020-21 के दौरान आबंटित निधियों के उपयोग को देख कर संतुष्ट है जो संबंधित वर्षों के लिए सं.अ. का 98.6% और 99% है। 2021-22 के दौरान 51.00 करोड़ रुपये के शेष निधि उपयोग के बारे में समिति को सूचित किया गया है कि विभिन्न प्रभागों द्वारा प्रस्तावों को आईएफडी को अग्रेषित कर दिया गया है और सहमति के बाद, विभाग द्वारा 51.00 करोड़ रुपये की शेष निधियों का उपयोग करने के लिए आवश्यक मंजूरी आदेश जारी किए गए हैं। समिति को आशा है कि विभाग आने वाले वर्षों में आबंटित निधियों के इष्टतम उपयोग में अपना कार्य निष्पादन जारी रखेगा। जहां तक सं.अ. चरण में ब.अ. (2021-22) को 233.14 करोड़ रुपये से घटाकर 209.00 करोड़ रुपये करने का संबंध है, विभाग ने बताया है कि यह मुख्य रूप से दो कारकों के कारण है (i) सिपेट स्कीमों के लिए निधि के आबंटन में कमी और (ii) बीजीएलडी लागत केन्द्र सिपेट को 117.88 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, जिन्हें विभिन्न कारणों से घटाकर 102.34 करोड़ रुपए कर दिया गया था जैसे (i) जम्मू में भूमि का आबंटन न करना, (ii) जम्मू और कश्मीर में सिपेट की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 50% अभी भी विचाराधीन है आदि और जहां तक बीजीएलडी का संबंध है, कोविड-19 के कारण कुल 3.53 करोड़ रुपये की कमी की गई है, वित्त मंत्रालय द्वारा समग्र ब.अ. आबंटन के अधिकतम 20% व्यय की सीमा लगाई गई है। समिति ने पाया है कि बीजीएलडी से संबंधित मुद्दे विभाग के नियंत्रण में नहीं हैं जबकि सिपेट से संबंधित पूर्व मुद्दा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग को विभिन्न योजनाओं के लंबित मुद्दों को सुव्यवस्थित करना चाहिए और इसमें तेज़ी लाई जानी चाहिए ताकि भविष्य में निधियों का अधिक आबंटन प्राप्त किया जा सके।''

सरकार का उत्तर

1.10 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (डीसीपीसी) ने निम्नवत् कहा है:-

''सिपेट

सिपेट योजनाओं के लिए धन की कमी विभिन्न कारणों से हुई जैसे; जम्मू-कश्मीर में भूमि का आबंटन न करना। जम्मू-कश्मीर परियोजना के संबंध में स्थिति और की गई कार्रवाई निम्नानुसार है:

प्रारंभ में, जम्मू और कश्मीर सरकार ने आईटीआई, जैनकोट के पास 15 कनाल (1.875 एकड़) भूमि आबंटित करने का प्रस्ताव दिया। चूंकि जम्मू और कश्मीर सरकार से लंबी अनुवर्ती कार्रवाई और पत्राचार के बाद कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई थी, 13.03.2021 को आयोजित 135वीं गवर्निंग काउंसिल (जीसी) की बैठक में केंद्र को जम्मू में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। गवर्निंग काउंसिल ने प्रस्ताव को जम्मू-कश्मीर द्वारा सहमति के अध्यधीन मंजूरी दी।

माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री, भारत सरकार ने दिनांक 19.04.2021 के अर्ध-शासकीय पत्र के द्वारा जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल से जम्मू में भूमि और परियोजना लागत का 50% आबंटित करके प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया है। इसके बाद, सचिव (रसायन एवं पेट्रोरसायन) ने भूमि और धन के आबंटन के लिए मुख्य सचिव (जम्मू-कश्मीर) को दिनांक 02.08.2021 एक अर्ध शासकीय पत्र लिखा है।

जम्मू और कश्मीर सरकार जम्मू में 10 एकड़ भूमि आबंटित करने के लिए सहमत हो गई है और इस संबंध में, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग और सिपेट के अधिकारियों की एक समिति ने 01.11.2021 को डीडीसी, जम्मू से मुलाकात की और जगती तहसील में साइट का निरीक्षण किया जिसे सिपेट को आबंटन के लिए प्रस्तावित किया गया था। समिति ने निरीक्षण के बाद पाया कि साइट ठोस चट्टानों के कारण अनुपयुक्त है, उस स्थान पर बड़ी मात्रा में विकास कार्य कराना होगा और पहुंचने का मार्ग भी सुगम नहीं है। समिति ने विजयपुर में एक अन्य साइट का भी दौरा किया जो अनुपयुक्त पाया गया था। इस संबंध में, उप सचिव (पेट्रोरसायन), रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, भारत सरकार ने प्रधान सचिव, कौशल विकास, विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार को दिनांक 09.11.2021 को एक पत्र लिखा है जिसमें पहचान की गई भूमि की अनुपयुक्तता के बारे में बताया गया और जम्मू प्रशासन से अनुरोध किया कि या तो उनके योगदान के रूप में जगती, जम्मू में प्रस्तावित भूमि पर भवन और छात्रावास का निर्माण किया जाए या जम्मू

के औद्योगिक क्षेत्र के निकट उपयुक्त भूमि प्रदान की जाए जहां साइट विकास लागत न्यूनतम होगी। इसके अलावा, सचिव (रसायन एवं पेट्रोरसायन), रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग जम्मू और कश्मीर सरकार के मुख्य सचिव को दिनांक 19.05.2022 को अर्ध शासकीय पत्र लिखा जिसमें या तो श्रीनगर में या जम्मू में सटीक स्थान की जानकारी देने का अनुरोध किया गया जहां सिपेट केंद्र स्थापित किया जाना है ताकि धन का समय पर उपयोग किया जा सके। जम्मू-कश्मीर प्रशासन से उत्तर की प्रतीक्षा है।

<u>बीजीएलडी:</u>

जहां तक बीजीएलडी का संबंध है, इस संबंध में उल्लेख किया जाता है कि 2021-22 के दौरान बीजीएलडी मद में 22.06 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी। जिसमें से 14.90 करोड़ रुपये का प्रावधान कार्य योजना (एक्स-ग्रेशिया) के उप-शीर्ष के तहत किया गया था, जिसे बाद में व्यावसायिक सेवाओं के लिए धन के पुनर्विनियोजन के कारण घटाकर 14.73 करोड़ रुपए कर दिया गया था। व्यय विभाग ने इस उपशीर्ष में 20 प्रतिशत की कटौती करने का निर्देश दिया, तदनुसार संशोधित अनुमान 2021-22 में 11.75 करोड़ रुपये की मांग की गई। अन्य उप-शीर्षों अर्थात वेतन और चिकित्सा उपचार में संशोधित अनुमानों में राशि की कमी प्रमुख 02 कर्मचारियों की मृत्यु, सेवानिवृत्ति और चिकित्सा दावों को जमा करने में कमी के कारण हैं। इसलिए आरई 2021-22 में कुल बजट को संशोधित कर 18.53 करोड़ रुपये कर दिया गया।

2. कार्य योजना शीर्ष (अनुग्रह) के तहत 2021-22 में लाभार्थियों को संशोधित राशि का पूर्ण रूप से वितरण किया गया। 2021-22 के दौरान वास्तविक खर्च 18.12 करोड़ रुपये था।''

1.11 समिति नोट करती कि वर्ष 2021-22 के लिए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय रसायन एवं) स्तर पर .अ.को सं .अ.के ब (रसायन विभाग-पेट्रो233.14 करोड़ रुपये से घटाकर 209.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था और मंत्रालय के अनुसार ऐसा मुख्य रूप से सिपेट योजना (सीआईपीईटी) बीजीएल) और भोपाल गैस रिसाव त्रासदीडीए निधि के आवंटन में कमी के कारण किया के लि (गया है। सिपेट को आबंटित की गई117.88 करोड़ रुपये की राशि को घटाकर 102.34 करोड़ रुपये कर दिया गया है और ऐसा जम्मू में भूमि का आवंटन न किए जाने, आदि जैसे कारणों से हुआ था। इस संबंध में समिति चिंता के साथ नोट करती है कि वर्ष 2015 में श्रीनगरजम्मू में सिपेट /

केंद्र की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया गया था। तत्पश्चात्, सिपेट केंद्र के लिए प्रस्तावित भूमि के लिए कई निरीक्षण इकाइयों के साथ बैठकों के अलावा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय रसायन एवं पेट्रोरसाय)न विभागतथा जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के साथ अनेक (बैठकें की गई हैं। हालांकि, लगभग आठ वर्ष बीत जाने के बाद इस समग्र कार्रवाई का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। समिति ने 10.06.2022 से 15.06.2022 तक श्रीनगर के अपने हाल ही के अध्ययन दौरे के दौरान जम्मू और कश्मीर तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय -रसायन एवं पेट्रो) के अधिकारियों के साथ भी इस मामले पर विस्तार से चर्चा की है। समिति पुरजोर (रसायन विभाग सिफारिश करती है कि मंत्रालय तत्काल कुछ ठोस उपाय करे और इस मामले को पुरजोर रूप से जम्मू और कश्मीर सरकार के समक्ष रखे ताकि और समय गवाए बगैर तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। समिति यह चाहती है कि उसे इस संबंध में उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाए।

(सिफारिश सं. 5)

<u>पांच नए प्लास्टिक पार्कों का प्रस्ताव</u>

1.12 पांच नए प्लास्टिक पार्कों के प्रस्ताव के संबंध में समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:-

''समिति ने नोट किया है कि वर्ष 2025-26 तक 202.50 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय पर पांच नए प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें प्रत्येक पार्क के लिए 40 करोड़ रुपये और प्रत्येक पार्क के लिए कार्यक्रम प्रबंधक शुल्क के रूप में 2.50 करोड़ रुपये शामिल हैं और इस प्रस्ताव को रसायन और उर्वरक मंत्री और वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, लेकिन व्यय विभाग की सहमति प्रतीक्षित है। इस प्रकार व्यय विभाग से अनुरोध किया गया है कि वह पांच नए प्लास्टिक पार्कों के प्रस्ताव के लिए अनुमोदन/सहमति प्रदान करे। इस संबंध में विभाग के प्रतिनिधि द्वारा मौखिक साक्ष्य के दौरान बताया गया है कि प्लास्टिक पार्कों की स्थापना में धीमी प्रगति के कारण प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी गई है। हालांकि अब वे इस मामले को वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के समक्ष उठाएंगे। समिति घटनाओं के इस क्रम को नोट करते हुए क्षुब्ध है और यह राय देती है कि प्लास्टिक पार्कों की स्थापना में धीमी प्रगति के लिए केवल और केवल विभाग जिम्मेदार है। यद्यपि विभाग ने बताया की किया है कि

उन्होंने (i) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रगति की समीक्षा, (ii) समीक्षा बैठकों/फील्ड इकाइयों का आयोजन और (iii) योजना संचालन समिति (एसएससी) द्वारा प्लास्टिक पार्कों की समीक्षा करने आदि जैसे कई उपाय शुरू किए हैं, लेकिन समिति का मानना है कि ये उपाय प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की गति को तेज करने के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं और इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है और इसके साथ ही विभाग द्वारा ठोस उपाय किए जाने चाहिए। इस संबंध में, विभाग ने बताया है कि वे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा उक्त प्रस्ताव के संबंध में शीघ्र सहमति की उम्मीद करते हैं, फिर भी समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि इस मामले को सख्ती से आगे बढ़ाया जाए अन्यथा निधियों की पूरी गणना और पांच नए प्लास्टिक पार्कों की योजना मूर्त रूप नहीं ले पाएंगी। समिति यह भी सिफारिश करती है कि ब.अ. जहां तक संभव हो, वित्त मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन/सहमति प्राप्त करने के बाद ही प्रस्तावित किया जाना चाहिए।''

सरकार का उत्तर

1.13 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (डीसीपीसी) ने निम्नवत् कहा है:-

''व्यय विभाग और आर्थिक कार्य विभाग ने विभाग को योजना के तहत पहले से चल रहे पार्कों के पूरा होने तक पांच नए प्लास्टिक पार्कों के मौजूदा प्रस्ताव को रोकने का निर्देश दिया है। तद्नुसार, विभाग ने पहले से चल रही परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने और उन्हें पूरा करने की दिशा में अपने अधिकतम प्रयासों को निर्देशित करने का निर्णय लिया है। एक बार पहले से चल रही परियोजना पूरी हो जाती हैं और प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना को सफलता प्राप्त हो जाती है, तब विभाग 5 नए प्लास्टिक पार्कों के प्रस्ताव को और अधिक जोरदार तरीके से आगे बढ़ाएगा।''

1.14 समिति चिंता के साथ नोट करती है कि 202.50 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय के साथ वर्ष 2025-26 तक पांच नए प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव पर व्यय विभाग तथा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने योजना के तहत निर्माणाधीन पार्कों के पूरा होने तक रोक लगा दी है। समिति यह भी नोट करती है कि आज की तिथि अनुसार छह प्लास्टिक पार्क अर्थात् (i) तमोट, मध्य प्रदेश, (ii) पारादीप, ओडिशा, (iii) तिनसुकिया, असम, (iv) बिलौआ, मध्य प्रदेश,

(iv) देवघर, झारखंड और)vi) तिरुवल्लूर, तमिलनाडु प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं लेकिन धीमी प्रगति के कारण कोई भी प्लास्टिक पार्क पूरा नहीं हो पाया है। परिणामस्वरूप, पांच नए प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के प्रस्ताव पर रोक लगा दी गयी है। अतः, समिति छह निर्माणाधीन प्लास्टिक पार्कों की प्रगति की जोरदार समीक्षा करने और उन्हें बिना किसी और विलंब के चालू करने की अपनी पूर्व सिफारिश को दोहराती है।

(सिफारिश सं. 12)

<u>रसायन उत्पादन और वितरण स्कीम (सीपीडीएस) के अंतर्गत वित्तीय उपलब्धियां</u>

1.15 सीपीडीएस के संबंध में समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:-

''समिति नोट करती है कि वर्ष 2019-20 के लिए सीपीडीएस का ब.अ. 3.00 करोड़ रुपये था और वास्तविक व्यय 2.93 करोड़ रुपये था। वर्ष 2020-21 के लिए 3.50 करोड़ रुपये के ब.अ. प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इसे घटाकर 2.80 करोड़ रुपये कर दिया गया था और वास्तविक व्यय भी 2.80 करोड़ रुपये है। हालांकि, वर्ष 2021-22 के लिए 3.00 करोड़ रुपये की एक बड़ी राशि का ब.अ. में निर्धारण किया गया था जिसे सं.अ. चरण में बढ़ाकर 3.60 करोड़ रुपये कर दिया गया था, जिसमें 31.12.2021 तक 1.76 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। ब.अ. में वृद्धि और कमी का कारण विभाग को प्राप्त प्रस्तावों की संख्या की प्रवृत्ति बताई गई है। समिति सिफारिश करती है कि प्रस्तावों की प्रवृत्ति का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए और भविष्य में एक वास्तविक ब.अ. का प्रस्ताव दिया जाए। समिति ने नोट किया कि वर्ष 2022-23 के लिए विभाग ने 6.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया था, लेकिन इसे केवल 3.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। समिति को यह भी बताया गया कि वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) इस योजना को अपने वर्तमान स्वरूप में जारी रखने के लिए सहमत नहीं था और रसायनों के संवर्धन और विकास के लिए एक नई योजना तैयार की गई है जिसके लिए पांच वर्षों की अवधि के लिए 57.60 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है और वित्त मंत्रालय के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है। समिति सिफारिश करती है कि इस प्रस्ताव को उच्च स्तर पर मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और रसायन के विकास और संवर्धन के लिए विभाग के अंदर या बाहर सीपीडीएस के समानांतर कोई योजना नहीं है। हालांकि, समिति नोट करती है कि नई योजना भी केवल सहायता अनुदान और पुरस्कारों तक ही सीमित है। सीपीडीएस और एनसीपीडीएस के बीच, अंतर केवल बजट परिव्यय में ही है। समिति का विचार है कि केवल सहायता अनुदान और पुरस्कार प्रदान करके

रसायनिक क्षेत्र का विकास नहीं किया जा सकता। विभाग रसायनों के संवर्धन और विकास के लिए अन्य तरीकों का भी पता लगाए।''

सरकार का उत्तर

1.16 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (डीसीपीसी) ने निम्नवत् कहा है:-

''बजट अनुमान 2021-22 में 3.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी जिसे संशोधित अनुमान 2021-22 में बढ़ाकर 3.60 करोड़ रुपये कर दिया गया। 3.60 करोड़ रुपये में से लगभग 3.59 करोड़ रुपये की राशि का खर्च वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किया गया था।

2. बजट अनुमान 2022-23 में सीपीडीएस के तहत 6.00 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव वित्त प्रभाग को भेजा गया था। हालांकि, सीपीडीएस के तहत बजट अनुमान 2022-23 में केवल 3.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों और विभिन्न उद्योग संघों से अब तक 6.68 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आरई स्टेज पर अतिरिक्त फंड की मांग की जाएगी।

3. 2021-22 से 2025-26 के दौरान 28.70 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट परिव्यय के साथ 31 मार्च 2021 के बाद भी पेट्रोरसायन की नई योजना की उप-योजना के रूप में सीपीडीएस को जारी रखने के लिए व्यय विभाग से अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

4. रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र आदि में अनुसंधान एवं विकास के संबंध में भविष्यका विजन और कार्य योजना तैयार करने के लिए अनुसंधान के लिए पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सीपीडीएस दिशानिर्देशों को संशोधित किया जा रहा है। सीपीडीएस के तहत रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए नई प्रौद्योगिकियों और प्रक्रिया संशोधनों आदि के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रमुख विश्वविद्यालयों/संस्थानों/स्वायत्त निकाय/उत्कृष्टता केंद्र/उद्योग संघ को भी दी जा सकती है।''

1.17 समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में यह राय व्यक्त की थी कि केवल सहायता अनुदान और पुरस्कार प्रदान करके रसायन क्षेत्र का विकास नहीं किया जा सकता है। अतः, समिति ने रसायन क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए अन्य तरीकों का भी पता लगाने की सिफारिश की थी। मंत्रालय ने बताया है कि रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के संबंध में भावी दृष्टिकोण और कार्य योजना तैयार करने के लिए अनुसंधान के लिए पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सीपीडीएस दिशानिर्देशों को संशोधित किया जा रहा है। तथापि, समिति यह महसूस करती है कि सहायता अनुदान और पुरस्कारों के अतिरिक्त अन्य विकल्प ढूंढ़कर रसायन क्षेत्र के संवर्धन और विकास संबंधी चिंता पर समुचित विचार किया जाए और तदनुसार, समिति यह दोहराती है कि मंत्रालय देश में रसायन क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए अन्य तरीकों का भी पता लगाए।

(सिफारिश सं. 16)

<u>प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केन्द्र</u>

1.18 प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्र के संबंध में समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:-

> ''समिति नोट करती है कि चारों स्थानों यथा अहमदाबाद (गुजरात), पटना (बिहार), वाराणसी (उ.प्र.) तथा बेंगलुरु (कर्नाटक) में कम से कम एक प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। हालांकि, राज्य सरकारों के साथ विभिन्न मुद्दों के कारण पीडब्ल्यूएमसी की स्थापना के लिए सिपेट को भूमि आबंटन में देरी हो रही है और इस मामले में कोई प्रगति नहीं है। तदनुसार, मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) में संशोधन के लिए प्रस्ताव किया गया है और एसओपी का संशोधन प्रक्रियाधीन है। समिति इसकी पुरजोर सिफारिश करती है कि एसओपी में संशोधन अतिशीघ्र किया जाए और तदनुसार ही समिति को इससे अवगत कराया जाए।''

सरकार का उत्तर

1.19 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (डीसीपीसी) ने निम्नवत् कहा है:-

''प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र (पीडब्लूएमसी) की स्थापना के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) में संशोधन प्रक्रियाधीन है। हालांकि, अहमदाबाद, बेंगलुरु, पटना और वाराणसी के संबंध में पीडब्लूएमसी की स्थापना की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

क्र.सं.	**केंद्र**	**स्थिति**
1.	**पीडब्लूएमसी, अहमदाबाद**	1. **20.08.2021:** बैठक के दौरान, नगर आयुक्त ने परियोजना से अहमदाबाद नगर निगम को होने वाले वास्तविक लाभों के बारे में पूछा और अपशिष्ट डंपिंग साइट (अर्थात प्रस्तावित स्थान) के पास भूमि को बाजार मूल्य बहुत अधिक होने के कारण भूमि और बुनियादी ढांचे को आबंटित नहीं करने के बारे में अपनी मजबूरी के बारे में। 2. **28.08.2021:** उप नगर आयुक्त कार्यालय ने सिपेट द्वारा प्रस्तावित 10-12 टन अपशिष्ट पुनर्चक्रण के लिए भूमि और बुनियादी ढांचे के लिए लगभग 60 करोड़ रुपये के एएमसी के प्रस्तावित निवेश का औचित्य पूछा। 3. **08.09.2021:** उनके प्रश्न को संबोधित करते हुए एक पत्र भेजा गया था क्योंकि शहर की सीमा के हिसाब से 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता बहुत बड़ी है, इसे पीडब्लूएमसी के लिए न्यूनतम 3 एकड़ भूमि पर विचार किया जा सकता है। एएमसी प्रति दिन 1000 टन को संभालने के लिए औद्योगिक पैमाने पर एक ठोस अपशिष्ट रीसाइक्लिंग प्लांट की तलाश में है, उनकी 10 टन की क्षमता वाले छोटे संयंत्र में रुचि नहीं हैं। सिपेट: आईपीटी-अहमदाबाद ने नगर निगम/राज्य सरकार को बुनियादी ढांचे के साथ भूमि का स्वामित्व देने का सुझाव दिया है ताकि वे पीडब्लूएमसी के लिए भूमि आबंटित करने में रुचि ले सकें।
2.	**पीडब्लूएमसी, बेंगलुरु**	1. **06.04.2021:** अपर सचिव, रसायन और उर्वरक मंत्रालय और महानिदेशक सिपेट द्वारा बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त को अन्य सुविधाओं के साथ पूर्व-निर्मित शेड के साथ भूमि आबंटित और सौंपने के लिए अनुरोध पत्र भेजा गया है। 2. संयुक्त आयुक्त और बीबीएमपी प्रमुख ने बताया कि कर्नाटक सरकार के पास निर्धारित भूमि के लिए वैकल्पिक योजनाएं हैं और पहले से चिन्हित स्थल पर 05 एकड़ भूमि उपलब्ध नहीं है। 3. **अक्तूबर 2021:** गोड्डेनहल्ली में एक और प्रस्तावित भूमि एक नॉन यूनिफॉर्म खदान भूमि थी और इसे इच्छित उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया था और इसे जेएस, बीबीएमपी प्रधान कार्यालय को सूचित कर दिया गया था। 4. **अक्तूबर 2021:** अपर सचिव, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ने सिपेट मुख्यालय को निर्देश दिया कि वह रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग को मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार को एक पत्र लिखने के बारे में सूचित करे। 5. सिपेट मुख्यालय ने प्रशासनिक मंत्रालय रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग को एक संशोधित एसओपी प्रस्तुत करने का प्रस्ताव दिया।

3.	**पीडब्लूएमसी, पटना**	1. भूमि की आवश्यकता को 5 एकड़ के बजाय कम करके 2.5 - 3 एकड़ तक किया जा सकता है। 2. सिपेट द्वारा सफल स्थापना और कमीशनिंग के बाद पीएमसी को पीडब्लूएमसी के संयंत्र और मशीनरी के संचालन, रखरखाव और सुरक्षित रखने के लिए कहा जा सकता है क्योंकि पीएमसी को संयंत्र के व्यवहार्य संचालन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने में एक प्रमुख भूमिका निभानी होती है। 3. सिपेट परियोजना अवधि के दौरान तकनीकी भागीदार के रूप में सहायता प्रदान करेगा। 4. उद्योग से अच्छे और व्यवहार्य प्रस्तावों को आकर्षित करने के लिए एसओपी को सिपेट, पीएमसी और उद्योग भागीदार के बीच एक उचित राजस्व साझाकरण मॉडल के साथ संशोधित किया जाना है।
4.	**पीडब्लूएमसी, वाराणसी**	1. **17 नवंबर 2021:** श्री नवनीत सहगल आई.ए.एस., अपर मुख्य सचिव, हथकरघा ने वाराणसी के जिलाधिकारी को वाराणसी में पीडब्लूएमसी की स्थापना के लिए सिपेट साइट से सटी 2.2 एकड़ भूमि के हस्तान्तरण से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए हैं. 2. इसके बाद, सिपेट: सीएसटीएस ने जिला मजिस्ट्रेट और श्रम आयुक्त के साथ आधिकारिक बातचीत में पाया कि, अटल आवास विद्यालय के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कैबिनेट की मंजूरी के माध्यम से 12.22 एकड़ भूमि पहले ही हथकरघा और कपड़ा विभाग से श्रम विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है, जिसमें यह भूमि भी शामिल है। **10 दिसंबर 2021:** अपर मुख्य सचिव ने प्रधान निदेशक, सिपेट: सीएसटीएस-वाराणसी को सूचित किया कि 12.22 एकड़ भूमि से 2.2 एकड़ भूमि सिपेट को हस्तांतरित करने के लिए यह मामला पहले ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है।

1.20 समिति नोट करती है कि मंत्रालय का अहमदाबाद, पटना, वाराणसी और बंगलुरु में एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र स्थापित करने का (पीडब्ल्यूएमसी)प्रस्ताव था। तथापि, किसी न किसी कारण से मंत्रालय अभी तक कई बैठकों, अनुरोध पत्रों आदि के बावजूद इनमें से किसी भी शहर में पीडब्ल्यूएमसी की स्थापना नहीं कर पाया है। मंत्रालय ने बताया है कि पीडब्ल्यूएमसी की स्थापना के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं में (एसओपी)संशोधन की प्रक्रिया जारी है। अतः, समिति सिफारिश करती है कि एसओपी को यथाशीघ्र संशोधित किया जाए ताकि प्रस्तावित पीडब्ल्यूसी की त्वरित स्थापना को सुगम बनाया जा सके।

(सिफारिश सं. 18)

<u>जहरीले कचरे को हटाना</u>

1.21 भोपाल गैस रिसाव स्थल से जहरीले कचरे को हटाए जाने के संबंध में समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:-

''जहां तक जहरीले कचरे को हटाने संबंधी मामले का संबंध है, समिति को सूचित किया गया है कि माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति गठित की गई है। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश सरकार ने एक अंतरराष्ट्रीय निविदा जारी की है और जहरीले कचरे के परिवहन के लिए भी एक संगठन की पहचान की गई है। इसके अलावा, एक प्रस्ताव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को आवश्यक अनुमोदन के लिए भेजा जा रहा है। समिति इस बात से क्षुब्ध है कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में घटित हुआ था और उस घटना के 38 वर्ष बीत जाने के बाद भी तथा केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद यह मामला प्रक्रियाधीन है। समिति सिफारिश करती है कि विभाग जहरीले कचरे को हटाने से संबंधित स्पष्ट विवरणों के साथ आगे आए और तदनुसार उन्हें अवगत कराया जाए।''

सरकार का उत्तर

1.22 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (डीसीपीसी) ने निम्नवत् कहा है:-

''मंत्री समूह ने 18-21 जून, 2010 की अपनी बैठक में सिफारिश की थी कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के 350 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को पीथमपुर भस्मक में निपटाया जाए। मंत्री समूह ने यह भी सिफारिश की कि लगभग 310 करोड़ रु. की उपचारात्मक लागत प्रथम दृष्टया भारत सरकार द्वारा वहन की जाए। 24 जून 2010 को कैबिनेट ने इसका अनुमोदन किया था।

2. केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, भंडारित खतरनाक कचरे आदि (लगभग 350 मीट्रिक टन) का भस्मीकरण, विभिन्न उपचारात्मक गतिविधियों के लिए वैश्विक निविदाएं आमंत्रित करना, विभिन्न उपचारात्मक गतिविधियों को करने के लिए ठेकेदारों का चयन और अंतिम रूप देना और सभी उपचारात्मक कार्यों को पूरा करना है मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। जहां तक उपचारात्मक और अपशिष्ट निपटान कार्यों के लिए 310 करोड़ रुपये जारी करने की बात है

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यय विभाग, मध्य प्रदेश सरकार और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर जिम्मेदारी तय की। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार को आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने में निगरानी और सहायता प्रदान करने के लिए किया भारत सरकार के स्तर पर एक निगरानी समिति का गठन 15 जुलाई 2010 को पर्यावरण और वन मंत्रालय में किया गया था। इस निरीक्षण समिति के अध्यक्ष भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्री हैं और इसके सह-अध्यक्ष मध्य प्रदेश सरकार के गैस राहत मंत्री हैं। मध्य प्रदेश सरकार से साइट पर शेष कचरे के निपटान के लिए एक निष्पादन योजना के साथ एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करने का अनुरोध किया गया था।

3. मध्य प्रदेश सरकार (जीओएमपी) ने दिनांक 03.02.2022 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि उसने इस उद्देश्य के लिए निविदाएं जारी की हैं। निविदा के जवाब में, मेसर्स पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड से 126.08 करोड़ रुपये और मेसर्स सेंचुरी इको सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 154.54 करोड़ रुपये की बोलियां प्राप्त हुईं। बोलियों के तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के बाद, मैसर्स पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को एल 1 पाया गया है और यह प्रस्तावित किया गया है कि इसे जहरीले कचरे के निपटान के लिए चुना जा सकता है। बोलीदाताओं के चयन के लिए गठित समिति में मध्य प्रदेश सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) के के सदस्य शामिल थे। मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से इस उद्देश्य के लिए 126.08 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का अनुरोध किया है।

4. मंत्रिमण्डल के निर्णय के अनुसार, व्यय विभाग से निधि जारी करने का अनुरोध करने से पहले प्रस्ताव को निरीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना है। मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव को 30 मार्च 2022 को निरीक्षण समिति द्वारा विचार और समर्थन के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेज दिया गया है।''

1.23 समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में नोट किया है कि भोपाल गैस त्रासदी वर्ष 1984 में हुई थी और लगभग 38 वर्ष बीत जाने और केन्द्र सरकार तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बाद भी इस मामले का समाधान नहीं हुआ है। मंत्रालय के अनुसार मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, जहरीले कचरे के निपटान के लिए मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव को निधियों को जारी करने के लिए व्यय विभाग से अनुरोध करने से पहले निगरानी समिति द्वारा

अनुमोदित किया जाना है। इस संदर्भ में समिति मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति से अवगत होना चाहती है।

(सिफारिश सं. 20)

<u>पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो-रसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर)</u>

1.24 पीसीपीआईआर के संबंध में समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:-

''समिति नोट करती है कि पीसीपीआईआर का लक्ष्य और उद्देश्य रसायन क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ाना और रोजगार सृजन करना है। पीसीपीआईआर के इन बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा चार पीसीपीआईआर (एक) गुजरात (दाहेज) (2009 में), (दो) आन्ध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम) (2009 में), (तीन) ओडिशा (पारादीप) (2010 में) और (चार) तमिलनाडू (कूडालोर और नागपट्टिनम) (2012 में) अधिसूचित की गई है। समिति आगे नोट करती है कि इन पीसीपीआईआर में लगभग 7.63 लाख करोड़ रूपये निवेश किया जाना था और इनसे लगभग 33.88 लाख लोगों को रोजगार देने की अपेक्षा की गई थी। हालांकि, समिति को खेद है कि वर्ष 2009, 2010 और 2012 में स्थापित ये चार पीसीपीआईआर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा में पीसीपीआईआर के मास्टर प्लान को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है जबकि तमिलनाडू में पीसीपीआईआर, पीसीपीआईआर प्रबंधन बोर्ड के गठन के बाद ही स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में पीसीपीआईआर को पर्यावरण मंजूरी नहीं मिल पायी है वहीं तमिलनाडु पीसीपीआईआर प्रबंधन बोर्ड के गठन के बाद ही मिल पाएगा। इस संबंध में विभाग ने बताया है कि ये सभी 20-25 वर्षों में तैयार होने वाली बड़ी परियोजना है और पूर्ण क्षमता की प्राप्ति एक क्रमिक प्रक्रिया है। समिति, विभाग के तर्क से सहमत भी है लेकिन उसका विचार है कि पीसीपीआईआर के स्थापना के 12 से 13 वर्ष बीतने के बाद भी कुछ बुनियादी मुद्दे जैसे मास्टर प्लान और पर्यावरण आयात मूल्यांकन को अभी तक नहीं सुलझाया गया है। इसलिए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि मामले की जांच की जाए और यथाशीघ्र ठोस कदम उठाए जाएं। समिति ने नोट किया है कि पीसीपीआईआर नीति को ज्यादा सफल बनाने के लिए यह विभाग के पास सक्रिय रूप विचाराधीन है। सुधार के लिए कुछ प्रस्तावों शामिल हैं: (एक) नये पीसीपीआईआर का न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र 250 से 50 वर्ग किमी तक कम करना और (दो) प्रबंधन बोर्ड के नाम को बदलकर विकास एवं प्रबंधन बोर्ड करना इत्यादि। समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि पीसीपीआईआर नीति में न केवल चार पीसीपीआईआर को एक ठोस

आकार दिये जाने बल्कि विभाग द्वारा प्रस्तावित 33.83 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं विभाग द्वारा यथा प्रस्तावित 7.63 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करने के लिए में यथाशीघ्र आवश्यक सुधार किया जाए।"

सरकार का उत्तर

1.25 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (डीसीपीसी) ने निम्नवत् कहा है:-

''विभाग ने समिति के सुझावों को नोट कर लिया है और यह विभाग समयबद्ध तरीके से पीसीपीआईआर स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए यह मामला राज्य सरकारों के साथ उठा रहा है। इस उद्देश्य के लिए, विभाग ने हाल ही में तीन पीसीपीआईआर की प्रगति की समीक्षा की है, और विभाग की टीमों ने दाहेज, विशाखापत्तनम और पारादीप में तीन पीसीपीआईआर का दौरा किया है। राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विभाग पीसीपीआईआर नीति, 2007 की समीक्षा करेगा ताकि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।''

1.26 पीसीपीआईआर के संबंध में समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में नोट किया था कि पीसीपीआईआर की स्थापना के लगभग 12 से 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी मास्टर प्लान के अनुमोदन और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन जैसे बुनियादी मुद्दों को अभी तक सुलझाया नहीं गया है। समिति ने 33.83 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन और 7.63 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने के बारे में भी नोट किया था। तथापि, की गई कार्रवाई उत्तर में पीसीपीआईआर नीति, 2007 की समयबद्ध अथवा शीघ्र समीक्षा के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए किसी ठोस कदम का विशिष्ट उल्लेख नहीं है ताकि रोजगार सृजन और निवेश सुनिश्चित किया जा सके, जैसा कि पूर्वोक्त है। अतः, समिति मूल प्रतिवेदन में उठाए गए अधिकांश प्रमुख मुद्दों पर विचार नहीं करने और केवल यह बताने पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करती है कि दाहेज, विशाखापट्टनम और पारादीप में तीन पीसीपीआईआर की प्रगति की समीक्षा की गई है और राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पीसीपीआईआर नीति, 2007 की समीक्षा की जाएगी । समिति दाहेज, विशाखापत्तनम, पारादीप और कुड्डालोर में पीसीपीआईआर की स्थापना में अत्यधिक विलंब को नोट करती है और

पीसीपीआईआर नीति की समीक्षा करने और पीसीपीआईआर की स्थापना में तेजी लाने के लिए मंत्रालय द्वारा तत्काल ठोस कदम उठाए जाने की सिफारिश करती है ताकि 33.83 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित किया जा सके और 7.63 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित किया जा सके।

अध्याय दो

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

(सिफारिश सं. 1)

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित और अनुमोदित आबंटन

2.1 विभाग हेतु बजटीय आबंटन के संबंध में समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:-

''समिति ने नोट किया कि वर्ष 2022-23 के लिए, विभाग ने 271.27 करोड़ रुपये के ब.अ. का प्रस्ताव किया था, लेकिन केवल 209.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। प्रस्ताव की तुलना में 62.27 करोड़ रुपए की इस कटौती के संबंध में विभाग द्वारा बताए गए कारणों में विभाग द्वारा किया गया समग्र व्यय, सरकार के पास उपलब्ध संसाधन और इसकी प्राथमिकताएं शामिल हैं। समिति का मत है कि सरकार की समग्र प्राथमिकताओं, संसाधनों की उपलब्धता के कारक विभाग के नियंत्रण से परे हैं लेकिन पिछले वित्तीय वर्षों का प्रस्ताव के अनुरूप व्यय ट्रैक विभाग को निधियों के आबंटन में निर्णायक कारकों में से एक है, यह पूर्णत: विभाग की जिम्मेदारी है। समिति को उम्मीद है कि विभाग आबंटित निधियों के उपयोग पर आवश्यक ध्यान देगा। इसके अलावा, विभाग ने बताया है कि वर्ष 2022-23 के लिए आबंटित बजट की तुलना में प्रस्तावित बजट में मुख्य कमियों में एनएसपी के तहत 53.77 करोड़ रुपये, आईपीएफटी के तहत 5.70 करोड़ रुपये, सीपीडीएस के तहत 3.00 करोड़ रुपये और सिपेट के तहत 1.13 करोड़ रुपये की मामूली कमी शामिल है, जिससे सिपेट की योजना में बाधा उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। समिति ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि विभाग की दोनों स्कीमों नामत (i) नई पेट्रोरसायन योजना (एनएसपी) और (ii) रसायन संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस) में क्रमश 53.77 करोड़ रुपए और 3.00 करोड़ रुपए की कमी आई है। इस प्रकार विभाग की प्रमुख योजनाओं का विभाग के कार्यकरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, आईपीएफटी में 5.70 करोड़ रुपए की कमी आई है जिसका विभाग के कार्यकरण के निष्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। समिति विभाग के इस उत्तर से कुछ हद तक संतुष्ट है कि सिपेट के लिए 1.13 करोड़ रुपये की मामूली कटौती से उसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं या कार्यक्रमों में गंभीर रूप से बाधा उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। तथापि, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि विभाग को एनएसपी और सीपीडीएस के लिए आबंटित निधियों का विवेकपूर्ण और सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो इन स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निधियों का अपेक्षित आबंटन प्राप्त करने के लिए इस मामले को उपयुक्त स्तर पर भी उठाना चाहिए।''

सरकार का उत्तर

2.2 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (डीसीपीसी) ने निम्नवत् कहा है:-

''<u>पेट्रोरसायन की नई योजना (एनएसपी)</u>

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि आबंटित बजट में 53.77 करोड़ रुपए की कमी से एनएसपी का पहले से चल रहा कार्यान्वयन प्रभावित नहीं होगा क्योंकि व्यय विभाग (डीओई) द्वारा पांच नए प्लास्टिक पार्कों के प्रस्ताव को रोक दिया गया है। इसलिए, चल रही परियोजनाओं के लिए अनुमानित आवश्यकता घटकर 66.27 करोड़ रुपए रह गई है, जिसमें से 48.50 करोड़ रुपए आबंटित किए जा चुके हैं। इस संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि विभाग समिति को आश्वासन देता है कि वह इस तरह से धन के आबंटन की योजना बनाएगा कि एनएसपी के तहत चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई प्रभाव ना पड़े या न्यूनतम प्रभाव पड़े और यदि आवश्यक हुआ, तो यह विभाग मामले को उचित स्तर पर उठाएगा।

<u>केन्द्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट)</u>

101.37 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बीई 2022-23 की तुलना में, बीई 2022-23 में सिपेट योजनाओं के लिए सहायता अनुदान के रूप में सिपेट को 100.24 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी। हालांकि, सिपेट के लिए 1.13 करोड़ रुपये की मामूली कटौती से बाधा आने की संभावना नहीं है और वर्ष 2022-23 के दौरान योजनाओं/परियोजनाओं के प्रभावी निष्पादन को पूरा करने के लिए आबंटित निधि पर्याप्त है। इसके अलावा, चूंकि उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए तकनीकी बुनियादी सुविधाओं और क्षमताओं को समृद्ध करने की योजना पूरी होने के कगार पर है, इसलिए "सिपेट में अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी सहायता में क्षमताओं को बढ़ाने" और इसके कारण निधि आबंटन में मामूली कटौती से सिपेट के कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

<u>रसायन संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस)</u>

विभाग ने व्यय विभाग से 31.3.2021 के बाद भी सीपीडीएस को जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी देने और सीपीडीएस को एक उप-योजना के रूप में पेट्रोरसायन की नई योजनाएं (एनएसपी) के साथ एक अम्ब्रेला योजना के रूप में विलय करने का अनुरोध किया था। सीपीडीएस का उद्देश्य देश में रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास करना

है। सीपीडीएस के लिए 2021-22 से 2025-26 के दौरान प्रस्तावित बजट परिव्यय नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	प्रस्तावित परिव्यय (करोड़ रुपये में)
1.	2021-22	3.60
2.	2022-23	6.15
3.	2023-24	6.25
4.	2024-25	6.30
5.	2025-26	6.40
कुल		28.70

2. व्यय विभाग ने सीपीडीएस को 31.03.2021 के बाद भी जारी रखने के लिए अपनी स्वीकृति से अवगत करा दिया है। सीपीडीएस को एक उप-योजना के रूप में पेट्रोरसायन की नई योजनाओं (एनएसपी) के साथ एक अम्ब्रेला योजना के रूप में विलय करने का प्रस्ताव वित्त प्रभाग में विचाराधीन है।

3. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सीपीडीएस के लिए 6.00 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। हालांकि, 2022-23 के लिए सीपीडीएस की मद में केवल 3.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। मौजूदा सीपीडीएस दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, विभाग ने वर्ष 2022-23 के दौरान सीपीडीएस के तहत आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के संबंध में इस विभाग के रसायन और पेट्रोरसायन प्रभागों और उद्योग संघों से प्रस्ताव मांगे। विभिन्न उद्योग संघों और रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों से 7.48 करोड़ रुपये के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 2022-23 के दौरान सीपीडीएस के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के कैलेंडर को सचिव (रसायन एवं पेट्रोरसायन) के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया गया है। हालांकि, मौजूदा सीपीडीएस दिशानिर्देशों के अनुसार, इन आयोजनों के लिए केवल 3.49 करोड़ रुपये की राशि दी जा सकती है। उपरोक्त के अतिरिक्त, विभाग की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन संचालित करने के लिए भी धनराशि आबंटित की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो अतिरिक्त धनराशि की मांग आरई स्तर पर वित्त प्रभाग को की जाएगी।''

<u>समिति की टिप्पणी</u>
(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.7 & 1.8 देखें)

(सिफारिश सं. 3)

<u>2021-22 के लिए पेट्रोरसायन (एनएसपी) की नई योजनाओं के तहत निधियों का उपयोग</u>

2.3 वर्ष 2021-22 के लिए एनएसपी के अंतर्गत निधियों के उपयोग के संबंध में समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:-

''समिति ने नोट किया कि वर्ष 2021-22 के दौरान एनएसपी के लिए ब.अ. में 53.73 करोड़ रुपये की राशि का अनुमान लगाया गया था जिसे सं.अ. चरण में घटाकर 51.13 करोड़ रुपये कर दिया गया था और 31.01.2022 की तिथि तक कम किए गए सं.अ. में से विभाग द्वारा 42.54 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है। विभाग ने कहा है कि उन्होंने उन्हें सौंपी गई राशि मासिक और त्रैमासिक व्यय योजना सीमाओं के अनुसार व्यय की है और वे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सं.अ. चरण में एनएसपी के तहत आबंटित पूरी राशि का उपयोग करने की उम्मीद कर रहे हैं। समिति को आशा और विश्वास है कि जैसा कि आश्वासन दिया गया है, विभाग शेष आबंटित राशि को 31.03.2022 तक व्यय करने में सक्षम होगा।"

सरकार का उत्तर

2.4 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (डीसीपीसी) ने निम्नवत् कहा है:-

''विभाग को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि**,** जैसा कि आश्वासन दिया गया था**,** उसने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 31.03.2022 तक पेट्रोरसायन की नई योजना के तहत आरई के रूप में आबंटित ₹51.13 करोड़ की पूरी राशि जारी कर दी है।"

(सिफारिश सं. 4)

<u>एनएसपी के ब.अ. (2022-23) में भारी कटौती</u>

2.5 एनएसपी के ब.अ. (2022-23) में भारी कटौती के संबंध में समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:-

''समिति ने नोट किया कि विभाग ने वर्ष 2022-23 के लिए ब.अ. के रूप में 102.73 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की है, लेकिन इसे 48.50 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। जहां तक 102.27 करोड़ रुपए की राशि का संबंध है, समिति को सूचित किया गया है कि चालू परियोजनाओं के लिए 66.27 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था और नए उत्कृष्ट केन्द्रों (सीओई) और नए प्लास्टिक पार्कों के लिए 36.00 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए थे। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि निधियों में कटौती से पुरानी परियोजनाओं की प्रगति और

कार्यान्वयन के साथ-साथ मौजूदा योजना की निरंतरता और विस्तार प्रभावित हो सकता है। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग को 102.73 करोड़ रुपए के प्रस्तावित ब.अ. में भारी कटौती के कारणों का तत्काल विश्लेषण करना चाहिए और एनएसपी के लिए प्रस्तावित ब.अ. के अनुरूप निधियों का आबंटन प्राप्त करने के लिए इस मामले को अधिक बलपूर्वक उचित मंच पर उठाना चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि किसी भी कीमत पर एनएसपी के अंतर्गत योजना के कार्यान्वयन और विस्तार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।"

सरकार का उत्तर

2.6 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (डीसीपीसी) ने निम्नवत् कहा है:-

"जैसा कि पहले सूचित किया गया था**,** विभाग ने पहले से चल रही परियोजनाओं के लिए ₹66.27 करोड़ रुपए और एनएसपी के तहत नई प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए 36.00 करोड़ रुपए की राशि के साथ 102.27 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया था। चूंकि व्यय विभाग द्वारा पांच नए प्लास्टिक पार्कों के प्रस्ताव को रोक दिया गया है**,** इसलिए पहले से चल रही परियोजनाओं के लिए अनुमानित आवश्यकता घटकर 66.27 करोड़ रुपए रह गई है**,** जिसमें से 48.50 करोड़ रुपए आबंटित किए जा चुके हैं। इस संबंध में**,** यह उल्लेख किया जाता है कि विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि निधियों के आबंटन की योजना इस तरह से बनायी जाएगी कि एनएसपी के तहत चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई प्रभाव ना पड़े या न्यूनतम प्रभाव पड़े।**"**

(सिफारिश सं. 5)

2.7 पांच नए प्लास्टिक पार्कों के प्रस्ताव के संबंध में समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:-

" <u>पांच नए प्लास्टिक पार्कों का प्रस्ताव</u>

''समिति ने नोट किया है कि वर्ष 2025-26 तक 202.50 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय पर पांच नए प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें प्रत्येक पार्क के लिए 40 करोड़ रुपये और प्रत्येक पार्क के लिए कार्यक्रम प्रबंधक शुल्क के रूप में 2.50 करोड़ रुपये शामिल हैं और इस प्रस्ताव को रसायन और उर्वरक मंत्री और वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, लेकिन व्यय विभाग की सहमति प्रतीक्षित है। इस प्रकार व्यय विभाग से अनुरोध किया गया है कि वह पांच नए प्लास्टिक पार्कों के प्रस्ताव के लिए अनुमोदन/सहमति प्रदान करे। इस संबंध में विभाग के प्रतिनिधि द्वारा मौखिक साक्ष्य के दौरान बताया गया है कि प्लास्टिक पार्कों की स्थापना में धीमी प्रगति के कारण प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी गई है। हालांकि

अब वे इस मामले को वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के समक्ष उठाएंगे। समिति घटनाओं के इस क्रम को नोट करते हुए क्षुब्ध है और यह राय देती है कि प्लास्टिक पार्कों की स्थापना में धीमी प्रगति के लिए केवल और केवल विभाग जिम्मेदार है। यद्यपि विभाग ने बताया की किया है कि उन्होंने (i) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रगति की समीक्षा, (ii) समीक्षा बैठकों/फील्ड इकाइयों का आयोजन और (iii) योजना संचालन समिति (एसएससी) द्वारा प्लास्टिक पार्कों की समीक्षा करने आदि जैसे कई उपाय शुरू किए हैं, लेकिन समिति का मानना है कि ये उपाय प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की गति को तेज करने के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं और इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है और इसके साथ ही विभाग द्वारा ठोस उपाय किए जाने चाहिए। इस संबंध में, विभाग ने बताया है कि वे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा उक्त प्रस्ताव के संबंध में शीघ्र सहमति की उम्मीद करते हैं, फिर भी समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि इस मामले को सख्ती से आगे बढ़ाया जाए अन्यथा निधियों की पूरी गणना और पांच नए प्लास्टिक पार्कों की योजना मूर्त रूप नहीं ले पाएंगी। समिति यह भी सिफारिश करती है कि जहां तक संभव हो, वित्त मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन/सहमति प्राप्त करने के बाद ही ब.अ. प्रस्तावित किया जाना चाहिए।"

सरकार का उत्तर

2.8 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (डीसीपीसी) ने निम्नवत् कहा है:-

"व्यय विभाग और आर्थिक कार्य विभाग ने विभाग को योजना के तहत पहले से चल रहे पार्कों के पूरा होने तक पांच नए प्लास्टिक पार्कों के मौजूदा प्रस्ताव को रोकने का निर्देश दिया है। तद्नुसार, विभाग ने पहले से चल रही परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने और उन्हें पूरा करने की दिशा में अपने अधिकतम प्रयासों को निर्देशित करने का निर्णय लिया है। एक बार पहले से चल रही परियोजना पूरी हो जाती हैं और प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना को सफलता प्राप्त हो जाती है, तब विभाग 5 नए प्लास्टिक पार्कों के प्रस्ताव को और अधिक जोरदार तरीके से आगे बढ़ाएगा। "

<u>समिति की टिप्पणी</u>
(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक की पैरा संख्या 1.13 देखें)

(सिफारिश सं. 6)

<u>प्लास्टिक पार्क की नीति पर पुनर्विचार</u>

2.9 प्लास्टिक पार्कों की नीति पर पुनर्विचार के संबंध में समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:-

"समिति को अवगत कराया गया है कि विभाग ने प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की नीति पर पुनर्विचार किया है और अब ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के अतिरिक्त**,** ब्राउनफील्ड परियोजनाओं पर भी उद्योग के अनुरोध के अनुसार भी विचार किया जाएगा और अब उद्यमी को भूमि खरीदने और अपनी पूंजी को अवरुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे अब पट्टे के आधार पर भी भूमि प्राप्त कर सकते हैं। समिति को आशा है कि इस संशोधन को लाकर विभाग प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की गति को तेज करने में सक्षम होगा।**"**

सरकार का उत्तर

2.10 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय **(**डीसीपीसी) ने निम्नवत् कहा है:-

"विभाग ने संशोधित योजना दिशा-निर्देशों के आधार पर गंजिमट**,** कर्नाटक और गोरखपुर**,** उत्तर प्रदेश में दो प्लास्टिक पार्कों को अनुमोदित किया है। चूंकि हाल ही में अनुमोदन दिया गया है**,** इसलिए इन दोनों पार्कों में संशोधित दिशानिर्देशों के परिणामों को परिलक्षित होने में समय लगेगा। इसके अलावा**,** सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार**,** चल रहे पार्कों को पट्टे/किराए के आधार पर भूमि प्रदान करने का सुझाव दिया गया था और इन प्रावधानों के परिणामस्वरूप**,** सभी पार्कों में भूखंडों के आबंटन के मामले में प्रगति की गति तेज हो गई है।"

(सिफारिश सं. 7)

<u>पारादीप,** ओडिशा और असम में प्लास्टिक पार्कों की स्थापना में विलंब</u>**

2.11 पारादीप, ओडिशा और असम में प्लास्टिक पार्कों की स्थापना में विलंब के संबंध में समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:-

"जहां तक ओडिशा और असम में प्लास्टिक पार्कों की स्थापना में विलंब का संबंध है**,** समिति को बताया गया कि इकाइयों के आगे न आने के कारण कॉमन फैसिलिटी सेंटर **(**सीएफसी**)** लंबित है और सोच-विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि सीएफसी के लिए मशीनरी और उपकरण नहीं लगाए जाएंगे क्योंकि यह पुराना हो जाएगा। समिति का विचार है कि

पारादीप, ओडिशा और असम में प्लास्टिक पार्क, विभाग की ओर से उचित योजना/प्रबंधन की कमी का शिकार हो गए हैं। समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि इन दोनों प्लास्टिक पार्कों के भाग्य का निर्णय शीघ्रातिशीघ्र किया जाए और उद्योग को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। समिति को इस संबंध में उठाए गए कदमों से भी अवगत कराया जाए।"

सरकार का उत्तर

2.12 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (डीसीपीसी) ने निम्नवत् कहा है:-

"विभाग ने ओडिशा और असम में कार्यान्वित किए जा रहे अपने प्लास्टिक पार्कों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। रियायती कीमतों पर भूमि आबंटन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से रियायती दरों पर फीडस्टॉक/कच्चे माल की उपलब्धता आदि जैसे कदमों और प्रावधानों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। ओडिशा के पारादीप प्लास्टिक पार्क में लगभग 19 भूखंड आबंटित किए गए हैं और असम प्लास्टिक पार्क में लगभग 44 भूखंड और 10 शेड आबंटित किए गए हैं। इसके अलावा, विभाग को उम्मीद है कि इन दोनों पार्कों में उपलब्ध अधिकांश भूखंड चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक आबंटित कर दिए जाएंगे।"

(सिफारिश सं. 8)

<u>प्लास्टिक पार्कों का स्थान</u>

2.13 प्लास्टिक पार्कों के स्थान के संबंध में समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की थी:-

"समिति को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार प्लास्टिक पार्कों के लिए आंशिक रूप से भूमि का चयन करती है और इसे विभाग को दे देती है। हालांकि, पहले विभाग राज्य सरकार द्वारा भूमि के स्थान की परवाह किए बिना भूमि के प्रस्तावों को स्वीकार कर रहा था लेकिन अब सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया गया है और विभाग लगातार भूमि के स्थान का चयन कर रहा है और वह स्थान भी उद्योग को दिखाया जाता है और एक बार जब उनके द्वारा इसे सहमति दे दी जाती है या वे उस स्थान पर प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके बाद ही प्लास्टिक पार्क को स्वीकृति प्रदान की जाती है। समिति के विचार से एक सही कदम है और यह कदम पहले ही उठा लिया जाना चाहिए था। समिति को उम्मीद है कि इस कदम से प्लास्टिक पार्कों की स्थापना में देरी में कमी आएगी। समिति को बताया गया है कि तिनसुकिया स्थित प्लास्टिक पार्कों में मुख्य रूप से स्थान संबंधी परेशानियों के कारण विलंब

हो रहा है। समिति की सिफारिश है कि तिनसुकिया प्लास्टिक पार्क के बारे में भी अंतिम निर्णय लिया जाए और इसे स्थान संबंधी परेशानियों के कारण नहीं छोड़ा जाए।"

सरकार का उत्तर

2.14 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (डीसीपीसी) ने निम्नवत् कहा है:-

"जैसा कि सिफारिश संख्या 7 के उत्तर में उल्लेख किया गया है, विभाग ने परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए असम प्लास्टिक पार्क की देखभाल करने वाले अधिकारियों को विभिन्न सुझाव दिए हैं। विभाग और एआईडीसी (असम प्लास्टिक पार्क परियोजना को कार्यानवित करने वाले प्राधिकरण) के प्रयासों के कारण, हाल के दिनों में प्रगति की गति में तेजी आई है और एआईडीसी ने सूचित किया है कि उन्होंने लगभग 75% प्रगति हासिल कर ली है और भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास और कुल नियोजित 104 भूखंडों में से लगभग 44 भूखंडों का आबंटन भी किया गया है। भूखंडों के अलावा, एआईडीसी ने विभिन्न इकाइयों को प्लग एंड प्ले मॉडल के आधार पर लगभग 10 शेड भी आबंटित किए हैं।"

(सिफारिश सं. 9)

<u>उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)</u>

2.15 सीओई के संबंध में समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:-

"समिति नोट करती है कि उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) का मूल उद्देश्य पेट्रोरसायनों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है और अब तक कुछ सीओई स्वीकृत भी किए गए हैं। हालांकि, प्रति उत्कृष्टता केन्द्र 6.00 करोड़ रुपए की स्वीकृति राशि को अब घटाकर 5.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। समिति को इस कटौती के औचित्य से अवगत नहीं कराया गया है। समिति को लगता है कि पेट्रोरसायन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास से संबंधित होने के कारण यह विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है और अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि निधि में कटौती के पीछे के कारणों का समुचित विश्लेषण किया जाए।"

<u>सरकार का उत्तर</u>

2.16 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (डीसीपीसी) ने निम्नवत् कहा है:-

"विभाग ने नए संभावित केंद्रों से प्रस्तावित मांगों के आधार पर स्वीकृत 6.00 करोड़ रुपए प्रति उत्कृष्टता केंद्र की राशि को कम करके 5.00 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, विभाग योजना में उद्योग की भूमिका को बढ़ावा देने की इच्छा रखता है और तदनुसार प्रस्ताव को प्राथमिकता देता है जिसमें उद्योग का काफी मात्रा में कनेक्शन और योगदान होता है। चूंकि इस योजना में संस्थान और उसके उद्योग भागीदारों के योगदान की परिकल्पना की गई है, इसलिए 5.00 करोड़ रुपए की राशि को उपयुक्त माना गया।"

(सिफारिश सं. 10)

<u>रसायन संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस)</u>

2.17 सीपीडीएस के संबंध में समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:-

"समिति नोट करती है कि विभाग रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग के संवर्धन और विकास के लिए जागरूकता उत्पन्न करने के साथ-साथ सूचना के प्रसार हेतु कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, अध्ययनों आदि का आयोजन करने के लिए विभिन्न संगठनों/उद्योग संघों आदि को सहायता अनुदान के रूप में सीपीडीएस के अंतर्गत सुलभ सहायता प्रदान करता है। समिति यह भी नोट करती है कि विभाग रसायन और पेट्रोरसायन के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार भी प्रदान करता है। जहां तक सहायता अनुदान का संबंध है, समिति ने नोट किया कि वर्ष 2019-20 के दौरान, 56 संगठनों/उद्योग संघों से प्राप्त में से केवल 8 संगठनों को सहायता अनुदान दिया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान, 168 संगठनों/उद्योग संघों ने आवेदन किया, लेकिन केवल 04 संगठनों/उद्योग संघों को अनुदान सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2021-22 के लिए, 31.01.2022 तक, 26 संगठनों ने आवेदन किया लेकिन केवल 06 संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया गया है। चार वर्ष की अवधि के दौरान यानी 2019 से 2022 तक, प्राप्त 250 आवेदनों में से केवल 18 संगठनों/उद्योग संघों को सहायता अनुदान प्रदान किया गया है। इन आंकड़ों से सीपीडीएस के अंतर्गत अनुदान सहायता प्रदान करने की नीति पर संदेह उत्पन्न होता है। समिति को ऐसा लगता है कि सीपीडीएस के संबंध में संगठनों/उद्योग संघों के बीच जागरूकता की कमी है और साथ ही योजनाओं के महत्वपूर्ण पहलू के बारे में भी जागरूकता का अभाव है। समिति सिफारिश करती है कि सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए संगठनों/उद्योग संघों को जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा उचित कदम उठाए जाएं। विभाग आवेदनों को अस्वीकार किए जाने के कारणों का भी विश्लेषण करे और उपचारात्मक कदम उठाए। जहां तक सीपीडीएस के अंतर्गत विभाग के पास लंबित पड़े आवेदनों का संबंध है, समिति को बताया गया कि उनके द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर सीपीडीएस के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

हालांकि, निधियां जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति के अभाव में सहायता अनुदान के कुछ प्रस्तावों को स्थगित रखा गया है और इस मामले को इस विभाग द्वारा व्यय विभाग के समक्ष रखा जा रहा है। समिति सिफारिश करती है कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाए और इसका तार्किक निष्कर्ष निकाला जाए तथा इस संबंध में अंतिम परिणाम से समिति को अवगत कराया जाए।"

सरकार का उत्तर

2.18 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (डीसीपीसी) ने निम्नवत् कहा है:-

"योजना के दिशा-निर्देश विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले प्रमुख संगठनों/उद्योग संघों से वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित होने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों का कलैण्डर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। जो प्रस्ताव योजना के उद्देश्यों के अनुरूप पाए जाते हैं उन्हें वित्तीय वर्ष के दौरान सीपीडीएस दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कंपोनेंट-II - ज्ञान प्रसार के तहत, सरकारी एजेंसियों, विभाग के तहत स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों, और रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र में उद्योग संघों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। विभाग ने ऐसे विशिष्ट संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों पर भी विचार किया है जो कम से कम पांच वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अतीत में सफलतापूर्वक ज्ञान प्रसार कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं। अनुदान प्राप्त करने के लिए सीपीडीएस के मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों और विभिन्न उद्योग संघों से अब तक 6.68 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

2. व्यय विभाग ने 2021-22 से 2025-26 के दौरान 28.70 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट परिव्यय के साथ 31 मार्च 2021 के बाद भी पेट्रोरसायन की नई योजना की उप-योजना के रूप में सीपीडीएस को जारी रखने को मंजूरी दे दी है। 22.3.2022 को विभाग से अनुमोदन मिलने के बाद 1.83 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी 31.3.2022 तक जारी की गई थी। आरई 2021-22 में सीपीडीएस को आबंटित 3.60 करोड़ रुपये में से, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 3.59 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी।"

(सिफारिश सं. 11)

<u>सीपीडीएस के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान करना</u>

2.19 सीपीडीएस के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान करने के संबंध में समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:-

"जहां तक व्यक्तियों/वैज्ञानिकों के समूह आदि को पेट्रोरसायन और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में नवाचारों के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिए जा रहे पुरस्कारों का संबंध है, समिति नोट करती है कि विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार सीपीडीएस के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान करने की प्रक्रिया बहुत जटिल है और पुरस्कार तब तक नहीं दिया जाता है जब तक कि कोई नवाचार नहीं किया गया हो या उद्योग को लाभ नहीं मिल रहा हो। पुरस्कारों के आंकड़ों के अवलोकन से पता चलता है कि वर्ष 2015-16 में विजेताओं की संख्या 17 थी, जो वर्ष 2019-20 में घटकर 04 हो गई। इसी प्रकार इसी अवधि के दौरान उपविजेताओं की संख्या 14 से घटकर 09 हो गई। समिति पुरस्कारों की संख्या में दुर्भाग्यपूर्ण गिरावट पर अत्यधिक रौष व्यक्त करती है। समिति का मत है कि पुरस्कारों की संख्या में कमी इस क्षेत्र में नवाचारों में कमी का संकेत देती है। अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि इस क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने और व्यक्तियों/संगठनों आदि की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी उपयुक्त कदम उठाए जाएं।"

सरकार का उत्तर

2.20 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (डीसीपीसी) ने निम्नवत् कहा है:-

"पुरस्कार विजेताओं की संख्या में गिरावट को क्षेत्र में नवाचारों में गिरावट का सूचक माना गया है। विभाग ने घटती संख्या पर भी ध्यान दिया है और पुरस्कारों की पहुंच बढ़ाने के प्रयास किए हैं। नीति में समय और मांग-संचालित परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देशों को भी संशोधित किया गया है। वर्तमान में, विभाग पुरस्कारों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और पेट्रोरसायन क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार के क्षेत्र में नई प्रतिभा को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।"

(सिफारिश सं. 13)

<u>सिपेट के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत नामांकन</u>

2.21 सिपेट के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत नामांकन के संबंध में समिति ने निम्नांकित सिफारिश की थी:-

"समिति नोट करती है कि दीर्घकालिक पाठ्यक्रम में कम से कम 13,494 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था और केवल 4390 उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया गया था और केवल 3672 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। जहां तक कौशल विकास **(**अल्पकालिक पाठ्यक्रम**)** का संबंध है**,** समिति नोट करती है कि वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान क्रमश**:** 20994, 14417 और 1886 छात्रों को प्लेसमेंट से जुड़े कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम **(**एसडीटीपी**)** में नियोजित किया गया था। समिति नोट करती है कि छात्रों**/**उम्मीदवारों की संख्या प्रति वर्ष कम हो रही है और विशेष रूप से वर्ष 2019-20 और 2020-21 के बीच का अंतर एक बड़ा अंतर है। समिति इस गिरावट के सटीक कारणों को जानना चाहती है और सिफारिश करती है कि सफल छात्रों की गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। अतः**,** समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि सिपेट सफल छात्रों**/**उम्मीदवारों को सार्थक प्लेसमेंट प्राप्त करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करे।**"**

सरकार का उत्तर

2.22 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (डीसीपीसी) ने निम्नवत् कहा है:-

"दीर्घावधिक पाठ्यक्रमों में 13494 छात्र/अभ्यर्थी (जिनमें सिपेट केंद्रों में ऑफर किए गए पोस्ट डिप्लोमा/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा/डिप्लोमा/यूजी/पीजी प्रोग्राम (सभी कार्यक्रम और सभी वर्ष) में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और 5 वर्ष के पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र शामिल हैं)। इनमें से अंतिम वर्ष (प्रत्येक कार्यक्रम में) में पढ़ रहे 4390 अभ्यर्थियों में से 3672 अभ्यर्थियों ने बिना बैकलॉग के निर्धारित समय अवधि में अपने संबंधित पाठ्यक्रम पूरे किए।

महामारी (कोविड-19) प्रतिबंधों के कारण, अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रम (संबंधित राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए) रोक दिए गए थे, जिसके कारण प्रारंभ किए हुए और रुके हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो सके, तदनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने में देरी हुई। इसके बाद, प्लेसमेंट के अवसर प्रदान किए गए अभ्यर्थी उद्योगों के लॉकडाउन/बंद होने के कारण उद्योग में जॉइन नहीं कर सके। कोविड-19 प्रतिबंधों में छूट मिलने पर, सिपेट केंद्रों ने रुके हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम को फिर से शुरू कर दिया है, और बाद में प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को उपयुक्त रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं।

सभी सिपेट केंद्रों में छात्रों/ अभ्यर्थियों को रोजगार/नियुक्ति प्रदान करने के लिए समर्पित प्लेसमेंट सेल हैं। इसके अलावा, सिपेट केंद्रों ने सिपेट छात्रों के रोजगार के लिए अपने क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की पहल की है।"

(सिफारिश सं. 14)

<u>गत वर्ष के दौरान सिपेट का ब.अ., सं.अ. और वास्तविक व्यय</u>

2.23 गत वर्ष के दौरान ब.अ., सं.अ. और वास्तविक व्यय के संबंध में समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:-

"समिति नोट करती है कि ब.अ. (2019-20) 80.00 करोड़ रुपए था लेकिन इसे 81.50 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया और सं.अ. की सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग किया गया। ब.अ. (2020-21) 98.25 करोड़ रुपए था और इसे 146.30 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया क्योंकि संस्थान ने 144.00 करोड़ रुपए की एकमुश्त धनराशि की मांग की थी और वित्त मंत्रालय द्वारा सं.अ. स्तर पर 50.00 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गये और वर्ष 2019-2020 की तरह इस वर्ष भी सं.अ. की कुल 146.30 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया। जहां तक ब.अ. (2021-22) का संबंध है समिति नोट करती है कि यह 117.88 करोड़ रुपए था लेकिन इसे सं.अ. स्तर पर घटाकर 102.34 करोड़ रुपए कर दिया गया और वास्तविक उपयोग 81.70 करोड़ रुपए बताया गया है। समिति वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के दौरान निधि के उपयोग के प्रभावशाली प्रवृत्ति से सन्तुष्ट है और आशा करती है कि वर्ष 2021-22 के दौरान आबंटित राशि का भी उपयोग कर लिया जाएगा। समिति नोट करती है सिपेट द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की गयीं क्योंकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान आफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की अनुमति नहीं थी। हालांकि स्थिति सामान्य होने पर और संबंधित जिला प्रशासन के दिशानिर्देश पर सिपेट के सभी केन्द्रों ने अपने-अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रत्यक्ष/आफलाइन मोड में शुरु कर दिया है। समिति का विचार है कि सही दिशा में एक अच्छा कदम है और इच्छा व्यक्त करती है कि सिपेट के प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर कोविड-19 महामारी के विपरीत प्रभाव को कम करने और एक निर्धारित समय में प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त नवाचार उपाएं किए जाएं। "

सरकार का उत्तर

2.24 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (डीसीपीसी) ने निम्नवत् कहा है:-

"आरई चरण में सिपेट को आबंटित 102.34 करोड़ रुपये की पूरी राशि वित्त वर्ष 2021 के अंत तक सिपेट को जारी कर दी गई थी। सिपेट केंद्रों ने चालू सम सेमेस्टर (जनवरी 2022 से जून 2022) के लिए ऑफ़लाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। सिपेट केंद्रों को पिछले सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान छूटे हुए व्यावहारिक प्रशिक्षण की भरपाई के लिए अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करने के लिए सूचित किया गया है।

सिपेट केंद्र समाचार पत्रों के विज्ञापन, सोशल मीडिया में सक्रिय भागीदारी जैसे फेसबुक/ट्विटर पोस्ट, डिजिटल मार्केटिंग, उद्योग सम्मेलन, वेबिनार, टीवी/रेडियो विज्ञापन, प्रवेश पुस्तिकाओं का वितरण, क्षेत्रीय मेलों/नौकरी मेला कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से अपने केंद्रों पर की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं।"

(सिफारिश सं. 15)

<u>सिपेट में अनुसंधान एवं विकास</u>

2.25 सिपेट में अनुसंधान और विकास के संबंध में समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की थी:-

"समिति नोट करती है सिपेट के तीन अनुसंधान और विकास विंग यथा **- (**एक**)** एडवांस स्कूल फॉर टेक्नॉलॉजी एण्ड प्रोडक्ट सिमूलेशन **(**एआरएसटीपीएस**),** चेन्नई **(**दो**)** लेब्रोटरी फॉर एडवासंड रिसर्च इन पालीमरिक मैटेरियल्स **(**एलएआरपीएम**),** भुवनेश्वर और **(**तीन**)** एडवांस्ड पॉलीमर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट रिसर्च लेब्रोटरी **(**एपीडीडीआरएल**),** बेंगलुरु हैं। आगे वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास विंग **/**शाखा ने अनुसंधान और विकास की 36 परियोजनाएं शुरू की हैं, 35 शोध पत्र उच्च प्रभाव कारक सहकर्मी-समीक्षीत वैज्ञानिक जर्नलों में प्रकाशित हुए और 5 पेटेंट के लिए आवेदन किया। साथ ही**,** एसएआरपी ने उद्योगों को ग्यारह तकनीकी सफलतापूर्वक हस्तान्तरित कर दिया है। एसएआरपी टीम द्वारा विभिन्न पुस्तकों**/**अध्यायों में अनुसंधान संबंधी विचारों का अनुवाद किया गया है और पॉलिमर साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी के डोमेन में अग्रणी अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा 70 जर्नलों को प्रकाशित किया गया है। समिति ने नोट किया है कि यद्यपि सिपेट के 45 केन्द्र देश भर में कार्य कर रहे हैं लेकिन सिपेट के मात्र 3 केन्द्र यथा**,** भुवनेश्वर**,** बंगलुरु और चेन्नई के पास आरएण्डडी कार्य करने का अधिदेश है। समिति ने सिफारिश की कि आरएण्डडी कार्य सिपेट के मात्र तीन केन्द्रों तक की सीमित नहीं रखा जाना चाहिए और विभाग को जल्द ही सिपेट के अन्य केन्द्रों पर आरएण्डडी कार्य को बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिएं। इस सम्बन्ध में**,** समिति को विभाग द्वारा उठाये गये कदमों से अवगत कराया जाए।**"**

सरकार का उत्तर

2.26 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (डीसीपीसी) ने निम्नवत् कहा है:-

"सिपेट ने अपने बुनियादी ढांचे, स्थान, उद्योग की भागीदारी और गतिविधियों और कार्यक्रमों के आधार पर अपने केंद्रों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है।

- पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीटी): आईपीटी केंद्रों की स्थापना पेट्रोरसायन और संबद्ध उद्योगों को यूजी/पीजी, डिप्लोमा कार्यक्रम, अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और तकनीकी सहायता सेवाओं की पेशकश के लिए आवश्यकताओं के अनुरूप की गई है।
- कौशल और तकनीकी सहायता केंद्र (सीएसटीएस): सीएसटीएस केंद्र पेट्रोरसायन और संबद्ध उद्योगों को डिप्लोमा कार्यक्रमों, अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता सेवाओं की पेशकश के लिए आवश्यकताओं के अनुरूप स्थापित किए गए हैं।
- पेट्रोरसायन में उन्नत अनुसंधान के लिए स्कूल (एसएआरपी): सिपेट ने 03 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं; जो इस प्रकार फ्रंटलाइन शोधकर्ताओं को देश के क्षेत्रों की जरूरतों के अनुरूप अपने शोध लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं।

सिपेट के सभी 45 केंद्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां करने के लिए अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक अवसंरचना के लिए एक बड़े निवेश और पर्याप्त संख्या में वैज्ञानिकों की भर्ती की आवश्यकता होगी। सभी केंद्रों में अनुसंधान करके अनुसंधान एवं विकास पर अपना ध्यान कम करने के बजाय, हम केवल 3 केंद्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिनके पास अनुसंधान एवं विकास कार्य करने के लिए एक प्रमुख जनादेश है।

आईपीटी में अनुसंधान करने और सिपेट और भारत और विदेशों दोनों में प्रतिष्ठित संस्थानों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य को मजबूत करने के लिए और कदम उठाए जा रहे हैं। आईपीटी में योग्य कर्मचारियों को उनकी विशेषज्ञता और व्यावहारिक अनुभव के आधार पर अनुप्रयुक्त अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।"

(सिफारिश सं. 17)

<u>भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (बीजीएलडी)</u>

2.27 भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (बीजीएलडी) के संबंध में समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:-

"समिति नोट करती है कि वर्ष 2019-20 के दौरान ब.अ. को 27.95 करोड़ रूपए तक बढ़ाया गया था लेकिन वास्तविक व्यय 23.61 करोड़ रूपए था। उसी प्रकार ब.अ. 31.80 करोड़ रूपए था लेकिन इसे घटाकर 21.43 करोड़ रूपए कर दिया गया और वास्तविक व्यय 18.93 करोड़ रूपए था। वर्ष 2021-2022 के लिए ब.अ. 22.06 करोड़ रूपए था जिसे कम कर 18.53 करोड़ रूपए कर दिया गया और वास्तविक व्यय 13.57 करोड़ रूपए था। इस प्रकार कई कारणों से लगातार तीन वर्षों में आबंटित निधि के उपयोग में गिरावट आयी है। समिति इन कारणों की गहराईयों में नहीं जाना चाहती है क्योंकि इन प्रशासनिक मामलों को केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा ही निपटाया जाता है। हालांकि, समिति की इच्छा है और समिति सिफारिश भी करती है कि कम से कम मानवीय आधार पर विभाग को आगे आना चाहिए और अनुग्रह राशि की भुगतान संबंधी समस्याओं का समाधान करना चाहिए ताकि उन्हें राहत/सहायता दी जा सके।"

सरकार का उत्तर

2.28 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (डीसीपीसी) ने निम्नवत् कहा है:-

"कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल, ट्रिब्यूनल द्वारा आपदा के कारण पीड़ित दावेदारों द्वारा आवेदन जमा करने पर दावेदारों को अनुग्रह राशि का वितरण करता है। न्यायाधिकरण इस मामले पर विवेकपूर्ण ढंग से विचार करने के लिए बाध्य हैं। न्यायाधिकरण इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कोई भी काल्पनिक या कपटपूर्ण दावेदार वह राशि प्राप्त नहीं कर सके जिसका वह पात्र नहीं है। अनुग्रह राशि के भुगतान में शामिल किसी भी मुद्दे को बिना किसी देरी के हल किया जाता है।"

(सिफारिश सं. 19)

<u>प्रमुख रसायनों और पेट्रो-रसायनों का आयात व निर्यात</u>

2.29 प्रमुख रसायनों और पेट्रो-रसायनों के आयात व निर्यात के संबंध में समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:-

"पिछले 5 वर्षों में प्रमुख रसायन और पेट्रो-रसायन के आयात और निर्यात के विवरण के संबंध में समिति नोट करती है कि आयात और निर्यात की प्रवृत्ति मिश्रित उत्पाद-वार प्रवृत्ति बतलाता है, किंतु वर्ष 2019-20 (कोविड-19 के कारण) को छोड़कर कुल आयात वर्ष दर वर्ष बढ़ा है। हालांकि, निर्यात के मामले में 2016-17 से 2018-19 तक रुझान बढ़ रहा था और बाद के वर्षों (2019-20 तथा 2020-21) में इसमें कमी होती रही है। समिति सिफारिश करती है कि रसायन और पेट्रो-रसायन के निर्यात को बढ़ाने और इसके आयात को कम करने के लिए

आवश्यक कदम उठाए जाएं। इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में समिति को सूचित किया जाए। समिति के संज्ञान में एक चिंताजनक बात यह आयी है कि भारत में रसायन और पेट्रो-रसायन की प्रति व्यक्ति खपत दूसरे विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है और यह बतलाता है कि आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में वृद्धि की पर्याप्त क्षमता है। चूंकि भारत रसायन और पेट्रो-रसायन का एक बड़ा उपभोक्ता है और यह अनुमान है कि आने वाले दशकों में उत्पादन और खपत लगातार बढ़ती रहेगी। समिति सिफारिश करती है कि विभाग को इस क्षेत्र में वृद्धि के लिए क्षमता के दोहन हेतु अतिशीघ्र ठोस कदम उठाना चाहिए। एक अन्य विशेषता बात संज्ञान में आया है कि बहुत से उत्पाद नामतः पॉलीकार्बोनेट, सुपर एब्जार्वेन्ट पॉलिमर्स, मिथाईल मेथाक्राइलेट, बुटाडीन स्टाइरीन, पॉलिसेटल्स, मेथिलीन डाईफेनिल डाइसोसायनेट, एथिलीन विनाइल एसीटेट और एथिलीन प्रोपीलीन डाइन मोनोमर की घरेलू उत्पादन क्षमता नहीं है और ये पूर्णत: आयात आधारित उत्पाद है। इसके अतिरिक्त, कारोबार किए जाने वाले अधिसंख्य पेट्रोरसायन में ऐसा कोई उत्पाद नहीं है जिसमें घरेलू उत्पादन क्षमता हो। हालांकि, पॉलिएथिलीन के पॉलिप्रोपिलीन जैसे उत्पाद हैं जिनकी घरेलू उत्पादन क्षमता आत्मनिर्भर होने के करीब है, फिर भी इन पॉलीमरों और इनके को-पॉलिमर के विभिन्न ग्रेड हैं, जिनका उत्पादन देश में नहीं किया जाता है और बड़ी मात्रा में इनका आयात किया जा रहा है। इस संबंध में, समिति की है कि विभाग इस मुद्दे को प्राथमिक आधार पर देखे और इन उत्पादों की आयात-निर्भरता को कम करने के लिए कदम उठाए। विभागों को पॉलिमर और को-पॉलिमर के विभिन्न ग्रेडों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक नीति तैयार करे जिनका उत्पादन देश में नहीं किया जाता हैं और जिनका अभी आयात किया जा रहा है। "

सरकार का उत्तर

2.30 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (डीसीपीसी) ने निम्नवत् कहा है:-

"1. रसायन और पेट्रोरसायन के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए **निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट** (आरओडीटीईपी) योजना शुरू की गई है। साथ ही आयात में कमी और मिशन आत्म निर्भर भारत का पालन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

भारी मात्रा में घटिया किस्म के रसायन और पेट्रोरसायन का आयात हो रहा था। उसी को प्रतिबंधित करने के लिए, सरकार द्वारा गैर-टैरिफ उपाय अपनाए गए।

2. आयात पर निर्भरता कम करने के लिए विभाग ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

निवेश की सुविधा और विशेष रसायनों, पॉलिमर आदि के क्षेत्र-वार घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीसीपीआईआर नीति की पुन: इंजीनियरिंग प्रक्रिया में है।परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना निम्नलिखित के लिए की गई है:

I. आबंटन के लिए उपलब्ध भूमि, और निवेशकों द्वारा स्वीकार किए जाने/निवेश के लिए पूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सहित सभी अनुमोदनों के साथ परियोजनाएं बनाना।

II. निवेश को आकर्षित करने और अंतिम रूप देने के लिए जिन मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है, उनकी पहचान करना और उन्हें अधिकार प्राप्त समूह के सामने रखना।

3. पॉलीमर और को-पॉलीमर के विभिन्न ग्रेड के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, विभाग पेट्रोरसायन क्षेत्र के विकास के लिए नीति तैयार करने के लिए परिप्रेक्ष्य योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। यह योजना अगले 10-15 वर्षों में संभावित मांग-आपूर्ति परिदृश्यों पर प्रकाश डालती है और घरेलू मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए विकल्प भी पेश करेगी।

संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में तालमेल रखने के लिए फीडस्टॉक/बिल्डिंग ब्लॉक्स/इंटरमीडिएट्स पर सीमा शुल्क के युक्तिकरण द्वारा रासायनिक क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने भारत को एक प्रमुख रसायन और पेट्रोरसायन विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के अवसर का लाभ उठाने के लिए, आयात निर्भरता में कमी पर जोर देते हुए, विशिष्ट समूहों में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए स्थिरता पर ध्यान देते हुए एक दृष्टिकोण निर्धारित किया है।

भारतीय रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ (एफआईसीसीआई) के साथ संयुक्त रूप से, वर्ष 2000 से हर दूसरे वर्ष में एक मेगा "इंडिया केम" कार्यक्रम आयोजित करता है। यह भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को इस क्षेत्र में हो रहे नवीनतम तकनीकी विकास पर अपने विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है, जो भविष्य के रुझानों और उद्योग के विकास को सुविधाजनक बनाता है। इंडिया-केम सम्मेलन का 11 वां संस्करण मार्च 2021 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

विभाग ने उद्योग को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए, 25-26 नवंबर 2021 के दौरान पीसीपीआईआर के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम जीसीपीएमएच (ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब) का भी आयोजन किया है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की सुविधा के साथ-साथ संभावित परियोजनाओं की पहचान करने और नियमित

निवेशक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने के लिए रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग में परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।"

अध्याय तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तर को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

-शून्य-

अध्याय चार

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराये जाने की आवश्यकता है

(सिफारिश सं. 2)

2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान बजटीय आबंटन और उपयोग

4.1 बजटीय आबंटन और उपयोग के संबंध में समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:-

''समिति ने नोट किया कि ब.अ. (2019-20) 263.65 करोड़ रुपये था जिसे संशोधित करके 370.18 करोड़ रुपये कर दिया गया था और वास्तविक व्यय 365.10 करोड़ रुपये था। ब.अ. (2020-21) 218.34 करोड़ रुपये था, लेकिन इसे फिर से सं.अ. चरण में 395.70 करोड़ रुपये तक किया गया और वास्तविक व्यय 293.04 करोड़ रुपये था। ब.अ. (2021-22) 233.14 करोड़ रुपये था, लेकिन इसे संशोधित करके 209.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है और 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार वास्तविक व्यय 158.00 करोड़ रुपये है। समिति 2019-20 और 2020-21 के दौरान आबंटित निधियों के उपयोग को देख कर संतुष्ट है जो संबंधित वर्षों के लिए सं.अ. का 98.6% और 99% है। 2021-22 के दौरान 51.00 करोड़ रुपये के शेष निधि उपयोग के बारे में समिति को सूचित किया गया है कि विभिन्न प्रभागों द्वारा प्रस्तावों को आईएफडी को अग्रेषित कर दिया गया है और सहमति के बाद, विभाग द्वारा 51.00 करोड़ रुपये की शेष निधियों का उपयोग करने के लिए आवश्यक मंजूरी आदेश जारी किए गए हैं। समिति को आशा है कि विभाग आने वाले वर्षों में आबंटित निधियों के इष्टतम उपयोग में अपना कार्य निष्पादन जारी रखेगा। जहां तक सं.अ. चरण में ब.अ. (2021-22) को 233.14 करोड़ रुपये से घटाकर 209.00 करोड़ रुपये करने का संबंध है, विभाग ने बताया है कि यह मुख्य रूप से दो कारकों के कारण है (i) सिपेट स्कीमों के लिए निधि के आबंटन में कमी और (ii) बीजीएलडी लागत केन्द्र सिपेट को 117.88 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, जिन्हें विभिन्न कारणों से घटाकर 102.34 करोड़ रुपए कर दिया गया था जैसे (i) जम्मू में भूमि का आबंटन न करना, (ii) जम्मू और कश्मीर में सिपेट की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 50% अभी भी विचाराधीन है आदि और जहां तक बीजीएलडी का संबंध है, कोविड-19 के कारण कुल 3.53 करोड़ रुपये की कमी की गई है, वित्त मंत्रालय द्वारा समग्र ब.अ. आबंटन के अधिकतम 20% व्यय की सीमा लगाई गई है। समिति ने पाया है कि बीजीएलडी से संबंधित मुद्दे विभाग के नियंत्रण में नहीं हैं जबकि सिपेट से संबंधित पूर्व मुद्दा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग को

विभिन्न योजनाओं के लंबित मुद्दों को सुव्यवस्थित करना चाहिए और इसमें तेज़ी लाई जानी चाहिए ताकि भविष्य में निधियों का अधिक आबंटन प्राप्त किया जा सके।''

<u>सरकार का उत्तर</u>

4.2 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (डीसीपीसी) ने निम्नवत् कहा है:-

''**<u>सिपेट</u>**

सिपेट योजनाओं के लिए धन की कमी विभिन्न कारणों से हुई जैसे**;** जम्मू-कश्मीर में भूमि का आबंटन न करना। जम्मू-कश्मीर परियोजना के संबंध में स्थिति और की गई कार्रवाई निम्नानुसार है**:**

प्रारंभ में**,** जम्मू और कश्मीर सरकार ने आईटीआई**,** जैनकोट के पास 15 कनाल **(**1.875 एकड़**)** भूमि आबंटित करने का प्रस्ताव दिया। चूंकि जम्मू और कश्मीर सरकार से लंबी अनुवर्ती कार्रवाई और पत्राचार के बाद कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई थी**,** 13.03.2021 को आयोजित 135वीं गवर्निंग काउंसिल **(**जीसी**)** की बैठक में केंद्र को जम्मू में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। गवर्निंग काउंसिल ने प्रस्ताव को जम्मू-कश्मीर द्वारा सहमति के अध्यधीन मंजूरी दी।

माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री**,** भारत सरकार ने दिनांक 19.04.2021 के अर्ध शासकीय पत्र के द्वारा जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल से जम्मू में भूमि और परियोजना लागत का 50% आबंटित करके प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया है। इसके बाद**,** सचिव **(**रसायन एवं पेट्रोरसायन**)** ने भूमि और धन के आबंटन के लिए मुख्य सचिव **(**जम्मू-कश्मीर**)** को दिनांक 02.08.2021 एक अर्ध शासकीय पत्र लिखा है।

जम्मू और कश्मीर सरकार जम्मू में 10 एकड़ भूमि आबंटित करने के लिए सहमत हो गई है और इस संबंध में**,** रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग और सिपेट के अधिकारियों की एक समिति ने 01.11.2021 को डीडीसी**,** जम्मू से मुलाकात की और जगती तहसील में साइट का निरीक्षण किया जिसे सिपेट को आबंटन के लिए प्रस्तावित किया गया था। समिति ने निरीक्षण के बाद पाया कि साइट ठोस चट्टानों के कारण अनुपयुक्त है**,** उस स्थान पर बड़ी मात्रा में विकास कार्य कराना होगा और पहुंचने का मार्ग भी सुगम नहीं है। समिति ने विजयपुर में एक अन्य साइट का भी दौरा किया जो अनुपयुक्त पाया गया था। इस संबंध में**,** उप सचिव **(**पेट्रोरसायन**),** रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग**,** भारत सरकार ने प्रधान सचिव**,** कौशल विकास**,** विभाग**,** जम्मू-कश्मीर सरकार को दिनांक 09.11.2021 को एक पत्र लिखा है जिसमें पहचान की गई भूमि की

अनुपयुक्तता के बारे में बताया गया और जम्मू प्रशासन से अनुरोध किया कि या तो उनके योगदान के रूप में जगती, जम्मू में प्रस्तावित भूमि पर भवन और छात्रावास का निर्माण किया जाए या जम्मू के औद्योगिक क्षेत्र के निकट उपयुक्त भूमि प्रदान की जाए जहां साइट विकास लागत न्यूनतम होगी। इसके अलावा, सचिव (रसायन एवं पेट्रोरसायन), रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग जम्मू और कश्मीर सरकार के मुख्य सचिव को दिनांक 19.05.2022 को अर्ध शासकीय पत्र लिखा जिसमें या तो श्रीनगर में या जम्मू में सटीक स्थान की जानकारी देने का अनुरोध किया गया जहां सिपेट केंद्र स्थापित किया जाना है ताकि धन का समय पर उपयोग किया जा सके। जम्मू-कश्मीर प्रशासन से उत्तर की प्रतीक्षा है।

<u>बीजीएलडी</u>:

जहां तक बीजीएलडी का संबंध है, इस संबंध में उल्लेख किया जाता है कि 2021-22 के दौरान बीजीएलडी मद में 22.06 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी। जिसमें से 14.90 करोड़ रुपये का प्रावधान कार्य योजना (एक्स-ग्रेशिया) के उप-शीर्ष के तहत किया गया था, जिसे बाद में व्यावसायिक सेवाओं के लिए धन के पुनर्विनियोजन के कारण घटाकर 14.73 करोड़ रुपए कर दिया गया था। व्यय विभाग ने इस उपशीर्ष में 20 प्रतिशत की कटौती करने का निर्देश दिया, तदनुसार संशोधित अनुमान 2021-22 में 11.75 करोड़ रुपये की मांग की गई। अन्य उप-शीर्षों अर्थात वेतन और चिकित्सा उपचार में संशोधित अनुमानों में राशि की कमी प्रमुख 02 कर्मचारियों की मृत्यु, सेवानिवृत्ति और चिकित्सा दावों को जमा करने में कमी के कारण हैं। इसलिए आरई 2021-22 में कुल बजट को संशोधित कर 18.53 करोड़ रुपये कर दिया गया।

कार्य योजना (अनुग्रह) मद के तहत 2021-22 में लाभार्थियों को संशोधित राशि का पूर्ण रूप से वितरण किया गया। 2021-22 के दौरान वास्तविक खर्च 18.12 करोड़ रुपये था।''

<u>समिति की टिप्पणी</u>

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.11 देखें)

(सिफारिश सं. 12)

<u>रसायन उत्पादन और वितरण योजना (सीपीडीएस) के अंतर्गत वित्तीय उपलब्धियां</u>

4.3 सीपीडीएस के संबंध में समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:-

"समिति नोट करती है कि वर्ष 2019-20 के लिए सीपीडीएस का ब.अ. 3.00 करोड़ रुपये था और वास्तविक व्यय 2.93 करोड़ रुपये था। वर्ष 2020-21 के लिए 3.50 करोड़ रुपये के ब.अ. प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इसे घटाकर 2.80 करोड़ रुपये कर दिया गया था और वास्तविक व्यय भी 2.80 करोड़ रुपये है। हालांकि, वर्ष 2021-22 के लिए 3.00 करोड़ रुपये की एक बड़ी राशि का ब.अ. में निर्धारण किया गया था जिसे सं.अ. चरण में बढ़ाकर 3.60 करोड़ रुपये कर दिया गया था, जिसमें 31.12.2021 तक 1.76 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। ब.अ. में वृद्धि और कमी का कारण विभाग को प्राप्त प्रस्तावों की संख्या की प्रवृत्ति बताई गई है। समिति सिफारिश करती है कि प्रस्तावों की प्रवृत्ति का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए और भविष्य में एक वास्तविक ब.अ. का प्रस्ताव दिया जाए। समिति ने नोट किया कि वर्ष 2022-23 के लिए विभाग ने 6.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया था, लेकिन इसे केवल 3.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। समिति को यह भी बताया गया कि वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) इस योजना को अपने वर्तमान स्वरूप में जारी रखने के लिए सहमत नहीं था और रसायनों के संवर्धन और विकास के लिए एक नई योजना तैयार की गई है जिसके लिए पांच वर्षों की अवधि के लिए 57.60 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है और वित्त मंत्रालय के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है। समिति सिफारिश करती है कि इस प्रस्ताव को उच्च स्तर पर मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और रसायन के विकास और संवर्धन के लिए विभाग के अंदर या बाहर सीपीडीएस के समानांतर कोई योजना नहीं है। हालांकि, समिति नोट करती है कि नई योजना भी केवल सहायता अनुदान और पुरस्कारों तक ही सीमित है। सीपीडीएस और एनसीपीडीएस के बीच, अंतर केवल बजट परिव्यय में ही है। समिति का विचार है कि केवल सहायता अनुदान और पुरस्कार प्रदान करके रसायनिक क्षेत्र का विकास नहीं किया जा सकता। विभाग रसायनों के संवर्धन और विकास के लिए अन्य तरीकों का भी पता लगाए।"

सरकार का उत्तर

4.4 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (डीसीपीसी) ने निम्नवत् कहा है:-

"बजट अनुमान 2021-22 में 3.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी जिसे संशोधित अनुमान 2021-22 में बढ़ाकर 3.60 करोड़ रुपये कर दिया गया। 3.60 करोड़ रुपये में से लगभग 3.59 करोड़ रुपये की राशि का खर्च वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किया गया था।

2. बजट अनुमान 2022-23 में सीपीडीएस के तहत 6.00 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव वित्त प्रभाग को भेजा गया था। हालांकि, सीपीडीएस के तहत बजट अनुमान 2022-23 में केवल 3.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों और विभिन्न उद्योग संघों से अब तक 6.68 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आरई स्टेज पर अतिरिक्त फंड की मांग की जाएगी।

3. 2021-22 से 2025-26 के दौरान 28.70 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट परिव्यय के साथ 31 मार्च 2021 के बाद भी पेट्रोरसायन की नई योजना की उप-योजना के रूप में सीपीडीएस को जारी रखने के लिए व्यय विभाग से अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

4. रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र आदि में अनुसंधान एवं विकास के संबंध में भविष्यका विजन और कार्य योजना तैयार करने के लिए अनुसंधान के लिए पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सीपीडीएस दिशानिर्देशों को संशोधित किया जा रहा है। सीपीडीएस के तहत रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए नई प्रौद्योगिकियों और प्रक्रिया संशोधनों आदि के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रमुख विश्वविद्यालयों/संस्थानों/स्वायत्त निकाय/उत्कृष्टता केंद्र/उद्योग संघ को भी दी जा सकती है।"

समिति की टिप्पणी

(कृपया इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा सं. 1.17 देखें)

(सिफारिश सं. 16)

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केन्द्र

4.5 प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केन्द्र के संबंध में समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:-

"समिति नोट करती है कि चारों स्थानों यथा अहमदाबाद (गुजरात), पटना (बिहार), वाराणसी (उ.प्र.) तथा बेंगलुरु (कर्नाटक) में कम से कम एक प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। हालांकि, राज्य सरकारों के साथ विभिन्न मुद्दों के कारण पीडब्ल्यूएमसी की स्थापना के लिए सिपेट को भूमि आबंटन में देरी हो रही है और इस मामले में कोई प्रगति नहीं है। तदनुसार, मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) में संशोधन के लिए प्रस्ताव किया गया है और एसओपी का संशोधन प्रक्रियाधीन है। समिति इसकी पुरजोर सिफारिश करती

है कि एसओपी में संशोधन अतिशीघ्र किया जाए और तदनुसार ही समिति को इससे अवगत कराया जाए।"

सरकार का उत्तर

4.6 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (डीसीपीसी) ने निम्नवत् कहा है:-

''प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र (पीडब्लूएमसी) की स्थापना के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) में संशोधन प्रक्रियाधीन है। हालांकि, अहमदाबाद, बेंगलुरु, पटना और वाराणसी के संबंध में पीडब्लूएमसी की स्थापना की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

क्र.सं.	केंद्र	स्थिति
1.	**पीडब्लूएमसी**, **अहमदाबाद**	4. 20.08.2021: बैठक के दौरान, नगर आयुक्त ने परियोजना से अहमदाबाद नगर निगम को होने वाले वास्तविक लाभों के बारे में पूछा और अपशिष्ट डंपिंग साइट (अर्थात प्रस्तावित स्थान) के पास भूमि को बाजार मूल्य बहुत अधिक होने के कारण भूमि और बुनियादी ढांचे को आबंटित नहीं करने के बारे में अपनी मजबूरी के बारे में। 5. 28.08.2021: उप नगर आयुक्त कार्यालय ने सिपेट द्वारा प्रस्तावित 10-12 टन अपशिष्ट पुनर्चक्रण के लिए भूमि और बुनियादी ढांचे के लिए लगभग 60 करोड़ रुपये के एएमसी के प्रस्तावित निवेश का औचित्य पूछा। 6. 08.09.2021: उनके प्रश्न को संबोधित करते हुए एक पत्र भेजा गया था क्योंकि शहर की सीमा के हिसाब से 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता बहुत बड़ी है, इसे पीडब्लूएमसी के लिए न्यूनतम 3 एकड़ भूमि पर विचार किया जा सकता है। 7. एएमसी प्रति दिन 1000 टन को संभालने के लिए औद्योगिक पैमाने पर एक ठोस अपशिष्ट रीसाइक्लिंग प्लांट की तलाश में है, उनकी 10 टन की क्षमता वाले छोटे संयंत्र में रुचि नहीं हैं। सिपेट: आईपीटी-अहमदाबाद ने नगर निगम/राज्य सरकार को बुनियादी ढांचे के साथ भूमि का स्वामित्व देने का सुझाव दिया है ताकि वे पीडब्लूएमसी के लिए भूमि आबंटित करने में रुचि ले सकें।
2.	**पीडब्लूएमसी**, **बेंगलुरु**	6. 06.04.2021: अपर सचिव, रसायन और उर्वरक मंत्रालय और महानिदेशक सिपेट द्वारा बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त को अन्य सुविधाओं के साथ पूर्व-निर्मित शेड के साथ भूमि आबंटित और सौंपने के लिए अनुरोध पत्र भेजा गया है। 7. संयुक्त आयुक्त और बीबीएमपी प्रमुख ने बताया कि कर्नाटक सरकार के पास निर्धारित भूमि के लिए वैकल्पिक योजनाएं हैं और पहले से चिन्हित स्थल पर 05 एकड़ भूमि उपलब्ध नहीं है। 8 अक्तूबर 2021: गोड्डेनहल्ली में एक और प्रस्तावित भूमि एक नॉन यूनिफॉर्म खदान भूमि थी और

		इसे इच्छित उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया था और इसे जेएस, बीबीएमपी प्रधान कार्यालय को सूचित कर दिया गया था। 9. अक्तूबर 2021: अपर सचिव, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ने सिपेट मुख्यालय को निर्देश दिया कि वह रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग को मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार को एक पत्र लिखने के बारे में सूचित करे। 10. सिपेट मुख्यालय ने प्रशासनिक मंत्रालय रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग को एक संशोधित एसओपी प्रस्तुत करने का प्रस्ताव दिया।
3.	**पीडब्लूएमसी, पटना**	5. भूमि की आवश्यकता को 5 एकड़ के बजाय कम करके 2.5 - 3 एकड़ तक किया जा सकता है। 6. सिपेट द्वारा सफल स्थापना और कमीशनिंग के बाद पीएमसी को पीडब्लूएमसी के संयंत्र और मशीनरी के संचालन, रखरखाव और सुरक्षित रखने के लिए कहा जा सकता है क्योंकि पीएमसी को संयंत्र के व्यवहार्य संचालन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने में एक प्रमुख भूमिका निभानी होती है। 7. सिपेट परियोजना अवधि के दौरान तकनीकी भागीदार के रूप में सहायता प्रदान करेगा। 8. उद्योग से अच्छे और व्यवहार्य प्रस्तावों को आकर्षित करने के लिए एसओपी को सिपेट, पीएमसी और उद्योग भागीदार के बीच एक उचित राजस्व साझाकरण मॉडल के साथ संशोधित किया जाना है।
4.	**पीडब्लूएमसी, वाराणसी**	5. 17 नवंबर 2021: श्री नवनीत सहगल आई.ए.एस., अपर मुख्य सचिव, हथकरघा ने वाराणसी के जिलाधिकारी को वाराणसी में पीडब्लूएमसी की स्थापना के लिए सिपेट साइट से सटी 2.2 एकड़ भूमि के हस्तान्तरण से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए हैं. 5. इसके बाद, सिपेट: सीएसटीएस ने जिला मजिस्ट्रेट और श्रम आयुक्त के साथ आधिकारिक बातचीत में पाया कि, अटल आवास विद्यालय के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कैबिनेट की मंजूरी के माध्यम से 12.22 एकड़ भूमि पहले ही हथकरघा और कपड़ा विभाग से श्रम विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है, जिसमें यह भूमि भी शामिल है। 10 दिसंबर 2021: अपर मुख्य सचिव ने प्रधान निदेशक, सिपेट: सीएसटीएस-वाराणसी को सूचित किया कि 12.22 एकड़ भूमि से 2.2 एकड़ भूमि सिपेट को हस्तांतरित करने के लिए यह मामला पहले ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है।

<u>समिति की टिप्पणी</u>

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक की पैरा सं. 1.20 देखें)

(सिफारिश सं. 18)

<u>जहरीले कचरे को हटाना</u>

4.7 भोपाल गैस रिसाव स्थल से जहरीले कचरे को हटाए जाने के संबंध में समिति ने निम्नवत् सिफारिश की थी:-

"जहां तक जहरीले कचरे को हटाने संबंधी मामले का संबंध है, समिति को सूचित किया गया है कि माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति गठित की गई है। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश सरकार ने एक अंतरराष्ट्रीय निविदा जारी की है और जहरीले कचरे के परिवहन के लिए भी एक संगठन की पहचान की गई है। इसके अलावा, एक प्रस्ताव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को आवश्यक अनुमोदन के लिए भेजा जा रहा है। समिति इस बात से क्षुब्ध है कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में घटित हुआ था और उस घटना के 38 वर्ष बीत जाने के बाद भी तथा केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद यह मामला प्रक्रियाधीन है। समिति सिफारिश करती है कि विभाग को जहरीले कचरे को हटाने से संबंधित स्पष्ट विवरणों के साथ आगे आए और तदनुसार उन्हें अवगत कराया जाए।"

सरकार का उत्तर

4.8 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (डीसीपीसी) ने निम्नवत् कहा है:-

"मंत्री समूह ने 18-21 जून 2010 की अपनी बैठक में सिफारिश की थी कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के 350 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को पीथमपुर भस्मक में निपटाया जाए। मंत्री समूह ने यह भी सिफारिश की कि लगभग 310 करोड़ रु. की उपचारात्मक लागत प्रथम दृष्टया भारत सरकार द्वारा वहन की जाए। 24 जून 2010 को कैबिनेट ने इसका अनुमोदन किया था।

2. केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, भंडारित खतरनाक कचरे आदि (लगभग 350 मीट्रिक टन) का भस्मीकरण, विभिन्न उपचारात्मक गतिविधियों के लिए वैश्विक निविदाएं आमंत्रित करना, विभिन्न उपचारात्मक गतिविधियों को करने के लिए ठेकेदारों का चयन और अंतिम रूप देना और सभी उपचारात्मक कार्यों को पूरा करना है मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। जहां तक उपचारात्मक और अपशिष्ट निपटान कार्यों के लिए 310 करोड़ रुपये जारी करने की बात है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यय विभाग, मध्य प्रदेश सरकार और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर जिम्मेदारी तय की। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार को आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने में निगरानी और सहायता प्रदान करने के लिए किया भारत सरकार के स्तर पर एक निगरानी समिति का गठन 15 जुलाई 2010 को पर्यावरण और वन मंत्रालय में किया गया था। इस निरीक्षण समिति के अध्यक्ष भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्री हैं और

इसके सह-अध्यक्ष मध्य प्रदेश सरकार के गैस राहत मंत्री हैं। मध्य प्रदेश सरकार से साइट पर शेष कचरे के निपटान के लिए एक निष्पादन योजना के साथ एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करने का अनुरोध किया गया था।

3. मध्य प्रदेश सरकार (जीओएमपी) ने दिनांक 03.02.2022 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि उसने इस उद्देश्य के लिए निविदाएं जारी की हैं। निविदा के जवाब में, मेसर्स पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड से 126.08 करोड़ रुपये और मेसर्स सेंचुरी इको सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 154.54 करोड़ रुपये की बोलियां प्राप्त हुईं। बोलियों के तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के बाद, मैसर्स पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को एल 1 पाया गया है और यह प्रस्तावित किया गया है कि इसे जहरीले कचरे के निपटान के लिए चुना जा सकता है। बोलीदाताओं के चयन के लिए गठित समिति में मध्य प्रदेश सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) के के सदस्य शामिल थे। मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से इस उद्देश्य के लिए 126.08 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का अनुरोध किया है।

4. मंत्रिमण्डल के निर्णय के अनुसार, व्यय विभाग से निधि जारी करने का अनुरोध करने से पहले प्रस्ताव को निरीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना है। मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव को 30 मार्च 2022 को निरीक्षण समिति द्वारा विचार और समर्थन के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेज दिया गया है।"

<u>समिति की टिप्पणी</u>

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा सं. 1.23 देखें)

(सिफारिश सं. 20)

<u>पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो-रसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर)</u>

4.9 पीसीपीआईआर के संबंध में समिति निम्नवत् सिफारिश की थी:-

"समिति नोट करती है कि पीसीपीआईआर का लक्ष्य और उद्देश्य रसायन क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देना**,** निर्यात को बढ़ाना और रोजगार सृजन करना है। पीसीपीआईआर के इन बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा चार पीसीपीआईआर **(**एक**)** गुजरात **(**दाहेज**) (**2009

में), (दो) आन्ध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम) (2009 में), (तीन) ओडिशा (पारादीप) (2010 में) और (चार) तमिलनाडू (कूडालोर और नागपट्टिनम) (2012 में) अधिसूचित की गई है। समिति आगे नोट करती है कि इन पीसीपीआईआर में लगभग 7.63 लाख करोड़ रूपये निवेश किया जाना था और इनसे लगभग 33.88 लाख लोगों को रोजगार देने की अपेक्षा की गई थी। हालांकि, समिति को खेद है कि वर्ष 2009, 2010 और 2012 में स्थापित ये चार पीसीपीआईआर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा में पीसीपीआईआर के मास्टर प्लान को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है जबकि तमिलनाडू में पीसीपीआईआर, पीसीपीआईआर प्रबंधन बोर्ड के गठन के बाद ही स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में पीसीपीआईआर को पर्यावरण मंजूरी नहीं मिल पायी है वहीं तमिलनाडु पीसीपीआईआर प्रबंधन बोर्ड के गठन के बाद ही मिल पाएगा। इस संबंध में विभाग ने बताया है कि ये सभी 20-25 वर्षों में तैयार होने वाली बड़ी परियोजना है और पूर्ण क्षमता की प्राप्ति एक क्रमिक प्रक्रिया है। समिति, विभाग के तर्क से सहमत भी है लेकिन उसका विचार है कि पीसीपीआईआर के स्थापना के 12 से 13 वर्ष बीतने के बाद भी कुछ बुनियादी मुद्दे जैसे मास्टर प्लान और पर्यावरण आयात मूल्यांकन को अभी तक नहीं सुलझाया गया है। इसलिए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि मामले की जांच की जाए और यथाशीघ्र ठोस कदम उठाए जाएं। समिति ने नोट किया है कि पीसीपीआईआर नीति को ज्यादा सफल बनाने के लिए यह विभाग के पास सक्रिय रूप विचाराधीन है। सुधार के लिए कुछ प्रस्तावों शामिल हैं: (एक) नये पीसीपीआईआर का न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र 250 से 50 वर्ग किमी तक कम करना और (दो) प्रबंधन बोर्ड के नाम को बदलकर विकास एवं प्रबंधन बोर्ड करना इत्यादि। समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि पीसीपीआईआर नीति में न केवल चार पीसीपीआईआर को एक ठोस आकार दिये जाने बल्कि विभाग द्वारा प्रस्तावित 33.83 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं विभाग द्वारा यथा प्रस्तावित 7.63 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करने के लिए में यथाशीघ्र आवश्यक सुधार किया जाए।"

सरकार का उत्तर

4.10 समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (डीसीपीसी) ने निम्नवत् कहा है:-

"विभाग ने समिति के सुझावों को नोट कर लिया है और यह विभाग समयबद्ध तरीके से पीसीपीआईआर स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए यह मामला राज्य सरकारों के साथ उठा रहा है। इस उद्देश्य के लिए, विभाग ने हाल ही में तीन पीसीपीआईआर की प्रगति की

समीक्षा की है, और विभाग की टीमों ने दाहेज, विशाखापत्तनम और पारादीप में तीन पीसीपीआईआर का दौरा किया है। राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विभाग पीसीपीआईआर नीति, 2007 की समीक्षा करेगा ताकि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। "

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा सं. 1.26 देखें)

अध्याय पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

-शून्य-

नई दिल्ली;

04 अगस्त, 2022

13 श्रावण, 1944 (शक)

कनिमोझी करुणानिधि

सभापति,

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

परिशिष्ट-I

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22)

समिति की नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरूवार, 04 अगस्त, 2022 को 1500 बजे से 1645 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि, सभापति

लोकसभा

2. श्री रमाकान्त भार्गव
3. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा
4. श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि
5. श्री कृपानाथ मल्लाह
6. श्री सत्यदेव पचौरी
7. डॉ.एम.के. विष्णु प्रसाद
8. श्री अरुण कुमार सागर
9. श्री इंद्रा हांग सुब्बा

राज्य सभा

10. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला
11. डा. अनिल जैन
12. श्री अरूण सिंह
13. श्री विजय पाल सिंह तोमर

14. श्री के. वेंलेल्वना

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवीन कुमार झा - निदेशक
3. श्री कुलविन्दर सिंह - उप सचिव
4. श्री पन्ना लाल - अवर सचिव

XXX XXX XXX

2. सर्वप्रथम सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया जिसे निम्नलिखित प्रारूप की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों पर विचार करने और स्वीकार करने के लिए आयोजित की गई थी:

(i) XXX XXX XXX

(ii) XXX XXX XXX

(iii) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों 2022-23' से संबंधित तैंतीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सैंतीसवां प्रतिवेदन।

(iv) XXX XXX XXX

3. प्रारूप प्रतिवेदनों में निहित महत्वपूर्ण टिप्पणियों/सिफारिशों का अवलोकन करते हुए माननीय सभापति ने सदस्यों के विचारों/सुझावों हेतु अनुरोध किया।

4. तत्पश्चात् समिति ने प्रारूप की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदनों को एक-एक करके विचारार्थ लिया और कुछ विचार-विमर्श के बाद उन्हें अपनाया।

5. इसके बाद समिति ने माननीय सभापति को की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और इसे संसद में प्रस्तुत किये जाने के लिए प्राधिकृत किया।

6. XXX XXX XXX

7. XXX XXX XXX

8.	XXX	XXX	XXX
9.	XXX	XXX	XXX
10.	XXX	XXX	XXX

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

XXX ***इस प्रतिवेदन से सम्बंधित नहीं है।***

परिशिष्ट-II

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में रसायन एवं उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के 33वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।

I	सिफ़ारिशों की कुल संख्या	20
II	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है: (*सिफारिश संख्या देखें* 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,13,14,15,17 और 19)	15
	कुल का प्रतिशत	75%
III	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती: शून्य	00
	कुल का प्रतिशत	00.00%
IV	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है: (*सिफारिश संख्या देखें* 2, 12, 16, 18 और 20)	05
	कुल का प्रतिशत	25%
V	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं: शून्य	00
	कुल का प्रतिशत	00.00%